2023 का विधेयक संख्यांक 113.

डिजिटल वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2023

खंडों का क्रम

खंड

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।
2. परिभाषाएं ।
3. अधिनियम का लागू होना ।

अध्याय 2

डाटा वैश्वासिक की बाध्यताएं

4. वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण के लिए आधार ।
5. नोटिस ।
6. सहमति ।
7. कतिपय विधिसम्मत उपयोग ।
8. वैश्वासिक डाटा की साधारण बाध्यताएं ।
9. बालक के वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण ।
10. महत्वपूर्ण डाटा विश्वासी की अतिरिक्त बाध्यताएं ।

अध्याय 3

डाटा स्वामी के अधिकार और कर्तव्य

11. वैयक्तिक डाटा के बारे में सूचना अभिगम अधिकार ।
12. वैयक्तिक डाटा सुधारने और मिटाने का अधिकार ।
13. शिकायत निवारण का अधिकार ।
14. नाम निर्देशन की शक्ति ।
15. डाटा स्वामी के कर्तव्य ।

अध्याय 4

विशेष उपबंध

16. भारत के बाहर वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण ।
17. छूट ।

अध्याय 5

भारतीय डाटा संरक्षण बोर्ड

18. बोर्ड की स्थापना ।
19. संरचना तथा अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं ।
20. वेतन, उनको संदेय भत्ते और पदावधि ।

21. बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों के रूप में नियुक्ति और बने रहने के लिए निर्हताएं ।
22. सदस्यों द्वारा त्यागपत्र और रिक्ति का भरा जाना ।
23. बोर्ड की कार्यवाहियां ।
24. बोर्ड के अधिकारी और कर्मचारी ।
25. सदस्यों और अधिकारियों का लोक सेवक होना ।
26. अध्यक्ष की शक्तियां ।

अध्याय 6

शक्तियां, कृत्य और बोर्ड द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया

27. बोर्ड की शक्तियां और कृत्य ।
28. बोर्ड द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया।

अध्याय 7

अपील और वैकल्पिक विवाद समाधान

29. अपील अधिकरण के लिए अपील ।
30. अपील अधिकरण द्वारा पारित आदेश को डिक्री के रूप में निष्पादित करना।
31. वैकल्पिक विवाद समाधान ।
32. स्वैच्छिक वचनबंध ।

अध्याय 8

शास्तियां और न्यायनिर्णयन

33. शास्तियां ।
34. शास्तियों के माध्यम से प्राप्त राशियों को भारत की संचित निधि में जमा किया जाना ।

अध्याय 9

प्रकीर्ण

35. सदभावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।
36. सूचना मांगने की शक्ति ।
37. निदेश जारी करने की केंद्रीय सरकार की शक्ति ।
38. अन्य विधियों के साथ संगतता ।
39. अधिकारिता पर रोक ।
40. नियम बनाने की शक्ति ।
41. नियमों और कतिपय अधिसूचनाओं का रखा जाना ।
42. अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति ।
43. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति
44. कतिपय अधिनियमों के संशोधन ।
अनुसूची

2023 का विधेयक संख्यांक 113.

[दि डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, 2023 का हिन्दी अनुवाद]

डिजिटल वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2023

डिजिटल वैयक्तिक डाटा का, ऐसी रीति में प्रकमण करने, जो व्यष्टिकों के उनके वैयक्तिक डाटा का संरक्षण करने के अधिकार और विधिपूर्ण प्रयोजनों के लिए ऐसे वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण, दोनों की आवश्यकता को मान्यता प्रदान करता है और उससे संबद्ध या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम डिजिटल वैयक्तिक डाटा संरक्षण अधिनियम, 2023 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रतिनिर्देश है ।

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम के उपबंध,—

(क) "अपील अधिकरण" से भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 14 के अधीन स्थापित दूर-संचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण अभिप्रेत है ; 1997 का 24

(ख) "स्वचालित" से डाटा प्रक्रमण के प्रयोजन के लिए दिए गए अनुदेशों या अन्यथा की प्रतिक्रिया में स्वचालित रूप से प्रचालन करने में सक्षम डिजिटल प्रक्रिया अभिप्रेत है ;

(ग) "बोर्ड" से केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 18 के अधीन स्थापित भारतीय डाटा संरक्षण बोर्ड अभिप्रेत है ;

(घ) "अध्यक्ष" से बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(ङ) "कतिपय विधिसम्मत उपयोग" से धारा 7 में निर्दिष्ट उपयोग अभिप्रेत हैं ;

(च) "बालक" से ऐसा व्यष्टि अभिप्रेत है जिसने अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है ;

(छ) "सहमति प्रबंधक" बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी पहुंचनीय, पारदर्शी, अन्तर संचालित प्लेटफार्म के माध्यम से अपनी सहमति देने, प्रबंध करने, पुनर्विलोकन करने और सहमति वापस लेने के लिए तथा उसका प्रबंध करने के लिए एकल संपर्क बिन्दु के रूप में डाटा स्वामी को समर्थ बनाता है ;

(ज) "डाटा" से सूचना, तथ्यों, अवधारणाओं, मतों या अनुदेशों का ऐसी रीति में कोई प्रतिनिधित्व अभिप्रेत है जो मानवों या स्वचालित साधनों द्वारा संचार, निर्वचन या प्रकमण के लिए उपयुक्त है ;

(झ) "डाटा वैश्वासिक" से कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण के प्रयोजन और साधनों को अवधारित करता है ;

(ञ) "डाटा स्वामी" से ऐसा कोई व्यष्टि अभिप्रेत है जिससे वैयक्तिक डाटा संबंधित है और जहां ऐसा व्यष्टि -

(i) बालक है, जिसके अंतर्गत ऐसे बालक के माता-पिता या विधिपूर्ण संरक्षक सम्मिलित है ;

(ii) निःशक्त व्यक्ति हैं, जिसके अंतर्गत उसका कोई विधिपूर्ण संरक्षक सम्मिलित है जो उसके निमित्त कार्य कर रहा है ;

(ट) "डाटा प्रकमक" से कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो डाटा वैश्वासिक के निमित्त वैयक्तिक डाटा का प्रकमण करता है ;

(ठ) "डाटा संरक्षण अधिकारी" से धारा 10 की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन महत्वपूर्ण डाटा वैश्वासिक द्वारा नियुक्त कोई व्यष्टि अभिप्रेत है ;

(ड) "डिजिटल कार्यालय" से कोई कार्यालय अभिप्रेत है जो किसी आनलाईन तंत्र को अंगीकृत करता है जिसमें, यथास्थिति, किसी संसूचना या परिवाद या निर्देश या अपील की प्राप्ति से लेकर उनके निपटान तक की कार्यवाहियां आनलाईन या

डिजिटल ढंग से संचालित की जाती हैं ;

(ढ) "डिजिटल वैयक्तिक डाटा" से डिजिटल प्ररूप में वैयक्तिक डाटा अभिप्रेत है ;

(ण) "अभिलाभ" से—

(i) संपत्ति या सेवाओं की पूर्ति चाहे अस्थायी या स्थायी हो, में अभिलाभ; या

(ii) पारिश्रमिक या अधिक पारिश्रमिक कमाने या अन्यथा विधिसम्मत पारिश्रमिक से भिन्न कोई वित्तीय फायदा लेने के लिए कोई अवसर,

अभिप्रेत है ;

(त) "हानि" से—

(i) संपत्ति की हानि या सेवाओं की पूर्ति चाहे अस्थायी या स्थायी हो, में हानि ; या

(ii) पारिश्रमिक या अधिक पारिश्रमिक या अन्यथा विधिसम्मत पारिश्रमिक से भिन्न कोई वित्तीय फायदा लेने के लिए किसी अवसर की हानि,

अभिप्रेत है ;

(थ) "सदस्य" से बोर्ड का सदस्य अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत अध्यक्ष सम्मिलित है ;

(द) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और "अधिसूचित करना" तथा "अधिसूचित" पद का तदनुसार अर्थान्वयन किया जाएगा ;

(ध) "व्यक्ति" के अंतर्गत—

(i) व्यष्टि ;

(ii) हिंदू अविभक्त कुटुंब ;

(iii) कंपनी ;

(iv) फर्म ;

(v) व्यक्तियों का संगम या व्यष्टियों का निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं ;

(vi) राज्य ; और

(vii) प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति, जो किसी भी पूर्ववर्ती उपखंड के अधीन नहीं आता है,

सम्मिलित है ;

(न) "वैयक्तिक डाटा" से किसी व्यष्टि के संबंध में, कोई डाटा जिसकी ऐसे डाटा द्वारा या उसके संबंध में पहचान की जा सकती है, अभिप्रेत है ;

(प) "वैयक्तिक डाटा भंग" से वैयक्तिक डाटा का कोई अप्राधिकृत प्रक्रमण, आकस्मिक प्रकटन, अर्जन, साझेदारी, उपयोग, परिवर्तन, उस डाटा तक पहुंच का क्षय या उसका नष्ट करना अभिप्रेत है जो वैयक्तिक डाटा की गोपनीयता, अखंडता या

उपलब्धता संकट में डालता है ;

(फ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(ब) "कार्यवाही" से इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन बोर्ड द्वारा की गई कोई कार्रवाई अभिप्रेत है ;

(भ) वैयक्तिक डाटा के संबंध में "प्रक्रमण" से डिजिटल वैयक्तिक डाटा पर की गई कोई पूर्ण रूप से या भागतः स्वचालित संक्रिया या संक्रियाओं का संवर्ग अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत पारेषण, प्रसार या अन्यथा द्वारा संग्रहण, अभिलेखन, सुव्यवस्था, स्ट्रक्चरिंग, भंडारण, अनुकूलन, पुनः प्राप्ति, उपयोग, संरेखण या संयोजन, अनुक्रमण, साझा करना, प्रकटन, संक्रियाएं आती हैं या अन्यथा, निर्बन्धन, उद्घर्षण या नष्ट करना उपलब्ध करवाता हैं ;

(म) किसी व्यष्टि के संबंध में "उससे" संबोधन के अंतर्गत उसके लिंग पर ध्यान दिए बिना ऐसे व्यक्ति के प्रतिनिर्देश सम्मिलित है ;

(य) "महत्वपूर्ण डाटा वैश्वासिक" से कोई डाटा वैश्वासिक या डाटा विश्वासियों का वर्ग, जो धारा 10 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, अभिप्रेत है ;

(यक) "विनिर्दिष्ट प्रयोजन" से डाटा स्वामी को डाटा वैश्वासिक द्वारा इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों के अनुसार दिए गए नोटिस में वर्णित प्रयोजन अभिप्रेत है ; और

(यख) "राज्य" से संविधान के अनुच्छेद 12 के अधीन परिभाषित राज्य अभिप्रेत है ।

अधिनियम का लागू होना ।

3. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए—

(क) भारत के राज्यक्षेत्र में डिजिटल वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण में, जहां वैयक्तिक डाटा का—

(i) डिजिटल प्ररूप में संग्रहण हुआ है ; या

(ii) गैर डिजिटल प्ररूप में और जिसे पश्चातवर्ती रूप से डिजिटल रूप में परिवर्तित किया गया है, में संग्रहण हुआ है,

को लागू होगा ;

(ख) भारत के राज्यक्षेत्र से बाहर डिजीटल वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण को भी लागू होगा यदि ऐसा प्रक्रमण भारत के राज्यक्षेत्र में डाटा स्वामी को माल या सेवाओं के प्रस्ताव से संबंधित किसी कार्यकलाप के संबंध में किया जाता है,

को लागू होगा ;

(ग) यह अधिनियम––

(i) किसी व्यष्टि द्वारा किसी वैयक्तिक या घरेलू प्रयोजन के लिए प्रक्रमित वैयक्तिक डाटा ; और

(ii) वैयक्तिक डाटा, जिसे,

(अ) डाटा स्वामी द्वारा, जिससे ऐसा वैयक्तिक डाटा संबंधित है ; या

(आ) किसी अन्य व्यक्ति को, जो भारत में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन ऐसे वैयक्तिक डाटा को पब्लिक रूप से उपलब्ध कराने के लिए आबद्ध है,

पब्लिक को उपलब्ध कराया जाता है या उपलब्ध कराया जाना कारित किया जाता है,

को लागू नहीं होगा ।

दृष्टांत : क, एक व्यष्टि, जो अपने दृष्टिकोण की ब्लॉगिंग करते हुए अपने वैयक्तिक डाटा को सोशल मीडिया पर उपलब्ध करवाता है । ऐसी दशा में इस अधिनियम के उपबंध लागू नहीं होंगे ।

अध्याय 2

डाटा वैश्वासिक की बाध्यताएं

वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण के लिए आधार ।

4. (1) कोई व्यक्ति किसी डाटा स्वामी के वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण केवल इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार और निम्नलिखित विधिपूर्ण प्रयोजन के लिए ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, कर सकेगा,—

(क) जिसके लिए डाटा स्वामी ने अपनी सहमति दी है ; या

(ख) कतिपय विधिसम्मत उपयोग के लिए ।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए "विधिसम्मत प्रयोजन" पद से कोई प्रयोजन अभिप्रेत है, जिसको विधि द्वारा अभिव्यक्त रूप से निषिद्ध नहीं करार दिया गया है ।

नोटिस ।

5. (1) धारा 6 के अधीन सहमति के लिए डाटा स्वामी को किए गए प्रत्येक अनुरोध के साथ डाटा वैश्वासिक द्वारा मूल डाटा स्वामी को निम्नलिखित की सूचना के साथ या उसे निम्नलिखित की पूर्व सूचना के साथ किया जाएगा,—

(i) वैयक्तिक डाटा और प्रयोजन, जिसके लिए उसका प्रक्रमण प्रस्तावित है ;

(ii) वह रीति, जिसमें वह धारा 6 की उपधारा (4) और धारा 13 के अधीन अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकेगी ; और

(iii) वह रीति, जिसमें डाटा स्वामी बोर्ड को शिकायत कर सकेगी ।

दृष्टांत : क, एक व्यष्टि, जो ख, एक बैंक की मोबाइल ऐप या वेबसाइट का उपयोग करते हुए बैंक खाता खोलता है । बैंक खाता खोलने के लिए विधि के अधीन अपने ग्राहक को जानिए अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए, क, अपने वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण के लिए ख, के सीधे, वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया का उपयोग करने का विकल्प चुनता है । ख, क को वैयक्तिक डाटा का वर्णन करने की वैयक्तिक डाटा की सूचना और उसके प्रक्रमण के प्रयोजन के साथ अग्रसर करेगा ।

(2) जब डाटा स्वामी ने इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से पूर्व अपने वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण के लिए अपनी सहमति दी है,—

(क) डाटा वैश्वासिक यथासंभवशीघ्र डाटा स्वामी को निम्नलिखित की सूचना

देते हुए, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, नोटिस देगा,––

(i) वैयक्तिक डाटा और प्रयोजन, जिसके लिए उसका प्रक्रमण किया गया है ;

(ii) वह रीति, जिसमें वह धारा 6 की उपधारा (4) और धारा 13 के अधीन अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकेगा ; और

(iii) वह रीति, जिसमें डाटा स्वामी बोर्ड को शिकायत कर सकेगा ।

(ख) डाटा वैश्वासिक वैयक्तिक डाटा का तब तक प्रक्रम जारी रखेगा जब तक कि डाटा स्वामी अपनी सहमति वापस नहीं ले लेता है ।

दृष्टांत : क, एक व्यष्टि, ख, द्वारा, जो एक ई-कामर्स सेवा प्रदाता है, द्वारा प्रचालित किसी आनलाइन शॉपिंग ऐप या वेबसाइट पर इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व अपने वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण के लिए सहमति देती है । इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर, ख यथासंभवशीघ्र क को वैयक्तिक डाटा का वर्णन करते हुए और उसके प्रक्रमण के प्रयोजन कि ई-मेल, ऐप में नोटिफिकेशन या अन्य प्रभावी विधि से सूचना देगा ।

(3) डाटा वैश्वासिक डाटा स्वामी को उपधारा (1) और उपधारा (2) में निर्दिष्ट नोटिस की अंतर्वस्तु तक अंग्रेजी या संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी भाषा में पहुंच का विकल्प देगा ।

सहमति ।

6. (1) डाटा स्वामी द्वारा दी गई सहमति नि:शुल्क, विनिर्दिष्ट, संसूचित, बिना किसी शर्त के और स्पष्ट तथा सकारात्मक कार्रवाई के लिए होगी और वह विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए उसके वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण तथा ऐसे वैयक्तिक डाटा तक सीमित रहेगी, जो विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए आवश्यक हो, के लिए किसी करार को उपदर्शित करेगी ।

दृष्टांत : X कोई व्यक्ति, किसी टेलीमेडिसिन ऐप को डाउनलोड करता है, Y (i) टेलीमेडिसिन सेवा उपलब्ध कराने के लिए उसके निजी डाटा के प्रसंस्करण और (ii) उसके मोबाइल फोन की संपर्क सूची तक पहुंच करने के लिए X की सहमति के लिए अनुरोध करता है और X दोनों को उसकी सहमति के लिए अनुमति देता है । अत: फोन संपर्क सूची टेलीमेडिसिन सेवा उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक नहीं है । उसकी सहमति टेलीमेडिसिन सेवा उपलब्ध कराने के लिए उसके निजी डाटा के प्रसंस्करण को सीमित करेगी ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट सहमति का कोई भाग जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों का उल्लंघन गठित करता है, ऐसे अतिलंघन के विस्तार तक अविधिमान्य होगा ।

दृष्टांत : X कोई व्यक्ति, बीमाकर्ता Y की मोबाइल ऐप या वेबसाइट का उपयोग करते हुए बीमा पालिसी खरीदता है । वह (i) पालिसी को जारी करने के प्रयोजन के लिए Y द्वारा उसके निजी डाटा के प्रसंस्करण और (ii) भारतीय डाटा संरक्षण बोर्ड को किसी परिवाद के फाइल करने के लिए उसके अधिकार को छोड़ने के लिए Y को सहमति देती है । सहमति का भाग (ii) परिवाद दाखिल करने के उसके अधिकार को छोड़ने के संबंध में अविधिमान्य होगा ।

(3) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन सहमति के लिए प्रत्येक अनुरोध डाटा प्रधान को, स्पष्ट और आसान भाषा में उसे अंग्रेजी या संविधान में आठवीं अनुसूची में निर्दिष्ट भाषा में ऐसे अनुरोध की पहुंच के लिए विकल्प देते हुए, प्रस्तुत किया जाएगा और डाटा संरक्षण अधिकारी को जहां लागू हो या इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन उसके अधिकारों के प्रयोग के प्रयोजन के लिए डाटा प्रधान से किसी संसूचना के उत्तर के लिए डाटा वैश्वासिक द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को संपर्क ब्यौरे प्रदान किए जाएंगें ।

(4) जहां डाटा प्रधान द्वारा दी गई सहमति निजी डाटा के प्रसंस्करण का आधार है, वहां ऐसे डाटा प्रधान को किसी भी समय अपनी सहमति उतनी ही सहज रीति से वापस लेने का अधिकार होगा जितने सहज से वह दी गई थी ।

(5) उपधारा (4) में निर्दिष्ट प्रत्याहरण का परिणाम डाटा प्रधान द्वारा जनित होगा और ऐसा प्रत्याहरण उसके प्रत्याहरण से पूर्व सहमति के आधार पर निजी डाटा के प्रसंस्करण की विधिमान्यता को प्रभावित नहीं करेगा ।

दृष्टांत : X कोई व्यक्ति किसी, Y ई-वाणिज्य सेवा प्रदाता द्वारा प्रचालित ऑनलाइन खरीदारी एप या वेबसाइट का उपयोग करता है । X उसके आपूर्ति आदेश और माल की आपूर्ति के लिए किए गए आदेश जब उसके लिए भुगतान किया जा रहा हो, को पूरा करने के प्रयोजन के लिए Y द्वारा उसके निजी डाटा की प्रक्रिया के लिए सहमति देता है । यदि X अपनी सहमति का प्रत्याहरण करता है, तो Y दिए गए आदेश के लिए एप या वेबसाइट का उपयोग करने के लिए X को रोकने के लिए समर्थ हो सकेगा किन्तु X द्वारा माल की आपूर्ति के लिए पहले से दिए गए आदेश और किए गए संदाय की प्रक्रिया को नहीं रोक सकेगा ।

(6) यदि डाटा प्रधान उपधारा (5) के अधीन निजी डाटा के प्रसंस्करण के लिए अपनी सहमति का वापस लेती है तो डाटा वैश्वासिक युक्तियुक्त समय के भीतर प्रसंस्करण को रोक देगा और इसके कारण डाटा प्रसंस्करणकर्ता ऐसे डाटा प्रधान के निजी डाटा के प्रसंस्करण को रोक देगा जब तक ऐसा प्रसंस्करण उसकी सहमति के बिना इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या भारत में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित या प्राधिकृत नहीं है ।

दृष्टांत : X एक दूरसंचार सेवा प्रदाता है, जो टेलिफोन बिल X के ग्राहकों को ई-मेल करने के लिए एक डाटा प्रसंस्करणकर्ता Y के साथ संविदा करता है । Z जो X का ग्राहक है जिसने अपने निजी डाटा के प्रसंस्करण करने के लिए X को बिलों को ई-मेल करने के लिए X की मोबाइल एप को डाउनलोड और केवल एप पर बिलों को प्राप्त करने का विकल्प चुनने के लिए अपनी सहमति पहले से दी थी । X स्वयं बिलों को ई-मेल के लिए Z के निजी डाटा के प्रसंस्करण को रोक देगा और Y का भी रोकना कारित करेगा ।

(7) डाटा प्रधान सहमति प्रबंधक के माध्यम से डाटा वैश्वासिक को अपनी सहमति दे सकेगा, उसका प्रबंध, पुनर्विलोकन कर सकेगा या उसे वापस ले सकेगा ।

(8) सहमति प्रबंधक डाटा प्रधान के लिए उत्तरदायी होगा और ऐसी रीति और ऐसी बाध्यताओं के अधीन जो विहित किए जाएं, उसके निमित्त कार्य करेगा ।

(9) प्रत्येक सहमति प्रबंधक ऐसी रीति में और ऐसी तकनीकी, परिचालन, वित्तीय

और अन्य शर्तों के अध्यधीन जो विहित किया जाए, बोर्ड में रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा ।

(10) जहां डाटा प्रधान द्वारा दी गई सहमति निजी डाटा प्रसंस्करण के आधार पर है और प्रक्रिया में इस संबंध में प्रश्न उठता है, वहां डाटा वैश्वासिक यह साबित करने के लिए बाध्य होगा कि डाटा प्रधान को उसके द्वारा नोटिस दिया गया था और इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार डाटा वैश्वासिक को ऐसे डाटा प्रधान द्वारा सहमति दी गई थी ।

कतिपय विधिसम्मत उपयोग ।

7. एक डाटा वैश्वासिक निम्नलिखित के उपयोग के लिए डाटा प्रधान के निजी डाटा का प्रसंस्करण कर सकेगा, अर्थात् :—

(क) उस विनिर्दिष्ट प्रयोजन जिसके लिए डाटा प्रधान डाटा वैश्वासिक को अपना निजी डाटा स्वेच्छापूर्वक उपलब्ध कराता है और जिसके संबंध में वह डाटा वैश्वासिक को यह उपदर्शित नहीं करता है कि उसने अपने निजी डाटा के उपयोग के लिए सहमति नहीं दी है ।

दृष्टांत : (1) X एक व्यक्ति, फार्मेसी Y पर खरीदारी करता है । वह स्वेच्छापूर्वक अपना निजी डाटा Y को प्रदान करता है और Y से उसके मोबाइल फोन पर संदेश भेज कर खरीदारी के लिए किए गए भुगतान की अभिस्वीकृति रसीद के लिए अनुरोध करता है । Y रसीद के प्रयोजन के लिए X को निजी डाटा का प्रसंस्करण कर सकेगा ।

(2) X एक व्यक्ति, Y भू-संपदा दलाल को इलैक्ट्रानिक रूप से संदेश करता है जिसमें Y से अपने लिए युक्तियुक्त किराए के आवास की पहचान में सहायता करने के लिए अनुरोध करता है और इस प्रयोजन के लिए अपना निजी डाटा साझा करता है । Y पहचान करने के लिए उसके निजी डाटा का प्रसंस्करण कर सकेगा और किराए पर उपलब्ध आवास के ब्यौरें के लिए उसे सूचित कर सकेगा । तत्पश्चात् X, Y को सूचित करता है कि Y से सहायता की कोई और आवश्यकता नहीं है, Y, X के निजी डाटा के प्रसंस्करण को रोक देगा ;

(ख) राज्य और उनके किन्ही अभिकरणों को डाटा प्रधान को ऐसी छूट, लाभ, सेवा, प्रमाणपत्र, अनुज्ञप्ति या अनुमति प्रदान करने या जारी करने के लिए विहित किया जा सकेगा, जहां—

(i) उसने किसी छूट, लाभ, सेवा, प्रमाणपत्र, अनुज्ञप्ति या अनुमति के लिए राज्य या उनके किसी अभिकरणों द्वारा उसके निजी डाटा के प्रसंस्करण के लिए पूर्व सहमति दे दी है ; या

(ii) ऐसा निजी डाटा डिजीटल प्ररूप में या गैर-डिजीटल प्ररूप में उपलब्ध है और तत्पश्चात् प्ररूप, कोई डाटाबेस, रजिस्टर, पुस्तक या अन्य दस्तावेज, जो राज्य या उनके किन्हीं अभिकरणों द्वारा रखे गए हैं, डिजिटलाइज किए गए हैं और केन्द्रीय सरकार या निजी डाटा के शासन के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा जारी की गई नीति के अनुसार, प्रसंस्करण के लिए पालन किए जाने वाले मानकों के अध्यधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए हैं ।

दृष्टांत : X एक गर्भवती महिला जो स्वयं को सरकार के मातृत्व लाभ

कार्यक्रम का उपभोग करने के लिए किसी एप या वेबसाइट पर नामावलीगत कराती है, जब कि उसने ऐसे अभिलाभ के उपभोग के प्रयोजन के लिए अपना निजी डाटा उपलब्ध कराने के लिए सहमति दी है । सरकार, X के निजी डाटा को सरकार से किसी अन्य विहित किए गए लाभ को ग्रहण करने के लिए उसकी अर्हता निश्चित करने के लिए प्रसंस्करण की प्रक्रिया कर सकेगी ।

(ग) भारत में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन या भारत की संप्रभुता और एकता या राज्यों की सुरक्षा के हित में किसी कृत्य को राज्य या उनके किन्ही अभिकरणों द्वारा संपादित किया जाना ।

(घ) किसी व्यक्ति पर, राज्य या उनके किन्ही अभिकरणों को, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में ऐसी जानकारी को प्रकट करने से संबंधित उपबंधों के अनुसार ऐसे प्रसंस्करण के अध्यधीन, भारत में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कोई जानकारी प्रकट करने किसी दायित्व को पूरा करना ;

(ङ) भारत में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी निर्णय या डिग्री या जारी किए गए आदेश या भारत के बाहर तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन संविदात्मक या सिविल प्रकृति के दावों से संबंधित किसी अन्य निर्णय या आदेश का अनुपालन करना ;

(च) चिकित्सीय आपात जिसमें डाटा प्रधान या किसी अन्य व्यक्ति के जीवन का खतरा या तत्काल स्वास्थ्य का खतरा शामिल है, के लिए जवाबदेही ;

(छ) आपदा, बीमारी का आरंभ या जनस्वास्थ्य के किसी खतरे के दौरान किसी व्यक्ति को चिकित्सीय उपचार या स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए किए जाने वाले उपाय ;

(ज) किसी आपदा या किसी लोक व्यवस्था के खराब होने के दौरान किसी व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने या सहायता या सेवा उपलब्ध कराने के लिए किए जाने वाले उपाय ,

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजन के लिए "आपदा" पद का वही अर्थ है जो
2005 का 53 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा के खंड (घ) में है ; या

(i) नियोजन के प्रयोजनों या उन प्रयोजनों जो नियोजक की, कारपोरेट जासूसी, व्यापार, गुप्त की गोपनियता का रखरखाव, बौद्धिक संपदा, वर्गीकृत सूचना या किसी सेवा का उपबंध या ऐसे डाटा प्रधान जो कर्मचारी है, द्वारा मांगे गए फायदे, जैसे हानि या दायित्व से नियोजक की सुरक्षा से संबंधित है ।

वैश्वासिक डाटा की साधारण बाध्यताएं ।

8. (1) एक वैश्वासिक डाटा इस अधिनियम के अधीन उपबंधित कर्तव्यों को पूरा करने के लिए डाटा प्रधान के प्रतिकूल या विफलता के किसी करार पर विचार किए बिना डाटा प्रसंस्करणकर्ता द्वारा या उसकी ओर से किए गए किसी प्रसंस्करण के संबंध में इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुपालन के लिए उत्तरदायी होगा ।

(2) डाटा वैश्वासिक केवल विधिमान्य संविदा के अधीन डाटा प्रधान को माल या सेवाओं के प्रस्ताव के संबंध में किसी क्रियाकलाप के लिए उसके आधार पर निजी डाटा प्रक्रिया के लिए डाटा प्रसंस्करणकर्ता को वचनबद्ध, नियुक्त, उपयोग या अन्यथा के लिए

अंतवर्लित कर सकेगा ।

(3) जहां निजी डाटा किसी डाटा वैश्वासिक द्वारा प्रसंस्करण किया जाता है—

(क) वहां इसकी ऐसे विनिश्चय करने के लिए उपयोग किए जाने की संभावना है, जो डाटा प्रधान को प्रभावित करता है ; या

(ख) किसी अन्य डाटा वैश्वासिक के लिए प्रकट किए जाने के लिए संभावना है वहां डाटा वैश्वासिक ऐसे निजी डाटा को प्रसंस्करण करने वाला इसकी संपूर्ण यर्थायर्था या संगतता सुनिश्चित करेगा ।

(4) एक डाटा वैश्वासिक इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए नियमों के उपबंधों के प्रभावी अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए युक्तियुक्त, तकनीकी और संगठनात्मक उपायों को लागू करेगा ।

(5) एक डाटा वैश्वासिक अपने कब्जे या नियंत्रण के अधीन निजी डाटा का संरक्षण करेगा जिसके अंतर्गत उसके द्वारा या डाटा प्रसंस्करणकर्ता द्वारा उसकी ओर से किए गए प्रसंस्करण के संबंध में निजी डाटा का उल्लंघन रोकने के लिए युक्तियुक्त सुरक्षा उपाय करना भी शामिल है ।

(6) निजी डाटा भंग के संबंध में डाटा वैश्वासिक बोर्ड और प्रत्येक प्रभावित डाटा प्रधान को ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में जो विहित की जाए, ऐसे भंग की सूचना देगा ।

(7) एक डाटा विश्वासी, जब तक कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुपालन के लिए प्रतिधारण आवश्यक न हो,—

(क) डाटा स्वामी द्वारा अपनी सहमति वापस लेने पर या जैसे ही यह मान लेना युक्तियुक्त हो कि विनिर्दिष्ट प्रयोजन पूरा नहीं किया जा रहा है, इनमें से जो भी पहले हो, व्यक्तिगत डाटा मिटा देगा; और

(ख) अपने डाटा प्रक्रमणकर्ता से किसी वैयक्तिक डाटा को मिटवाएगा जो ऐसे डाटा प्रक्रमण के लिए डाटा विश्वासी द्वारा उपलब्ध कराया गया था।

दृष्टांत : (i) एक्स एक व्यष्टि, वाई द्वारा संचालित ऑनलाइन बाजार स्थल पर ई-कॉमर्स सेवा प्रदाता के रूप में स्वयं को रजिस्ट्रीकृत कराता है एक्स अपनी प्रयुक्त कार को बेचने के लिए अपने वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण के लिए वाई को अपनी सहमति देता है । ऑनलाइन बाजार विक्रय को संचालित करने में सहायता करता है । वाई अब अपना वैयक्तिक डाटा नहीं रखेगा ।

(ii) एक्स एक व्यष्टि, एक बैंक वाई के साथ अपना बचत खाता बंद कराने का विनिश्चय करता है बैंकों पर लागू विधि की अपेक्षानुसार वाई से अपने ग्राहकों की पहचान का अभिलेख खातों के बंद होने के पश्चात् दस साल की अवधि के लिए अनुरक्षित किया जाना अपेक्षित है । चूंकि विधि के अनुपालन के लिए प्रतिधारण आवश्यक है, वाई उक्त अवधि के लिए एक्स के वैयक्तिक डाटा को बनाए रखेगा ।

(8) उपधारा (7) के खंड (क) में निर्दिष्ट प्रयोजन पूरा नहीं किया गया समझा जाएगा यदि डाटा स्वामी ऐसी समयावधि के लिए जो विहित की जाए—

(क) विनिर्दिष्ट प्रयोजन के अनुपालन के लिए डाटा विश्वासी तक नहीं पहुंचता है: और

(ख) ऐसे प्रक्रमण के संबंध में अपने किन्हीं अधिकारों का प्रयोग नहीं करता है, और भिन्न-भिन्न डाटा विश्वासियों के वर्गों और भिन्न-भिन्न प्रयोजनों के लिए भिन्न-भिन्न समय सीमा अवधि विहित की जा सकती है ।

(9) डाटा विश्वासी, ऐसी रीति में जो विहित की जाए,डाटा संरक्षण अधिकारी, यदि लागू हो याउस व्यक्ति जो डाटा विश्वासी की ओर से, डाटा स्वामी द्वारा उसके व्यक्तिगत डाटा के प्रक्रमण के बारे में पूछे गए प्रश्न, यदि कोई हो का उत्तर देने में समर्थ है, की कारबार संपर्क सूचना प्रकाशित करेगा ।

(10) डाटा विश्वासी, डाटा स्वामी की शिकायत के निवारण के लिए प्रभावी तंत्र की स्थापना करेगा ।

(11) इस धारा के प्रयोजनों के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि डाटा स्वामी ने किसी ऐसी अवधि में जिसके दौरान उसने वैयक्तिक रूप से या इलैक्ट्रानिक संसूचना के माध्यम से या शारीरिक रूप से ऐसे पालन ऐसे पालन के लिए डाटा विश्वासी के साथ संपर्क प्रारंभ नहीं किया है, विनिर्दिष्ट प्रयोजन के पालन के लिए डाटा विश्वासी से संपर्क नहीं किया जाना माना जाएगा ।

बालक के वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण ।

9. (1) डाटा विश्वासी, किसी बालक या दिव्यांगजन, जिसका एक विधिपूर्ण संरक्षक है, के किसी वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण करने से पहले यथास्थिति ऐसे बालक के माता-पिता या विधिपूर्ण संरक्षक की ऐसी रीति में जो विहित की जाए सत्यापन योग्य सहमति प्राप्त करेगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "माता-पिता की सहमति" पद में विधिपूर्ण संरक्षक की सहमति, जहां कहीं लागू हो, सम्मिलित है ।

(2) डाटा विश्वासी, वैयक्तिक डाटा का ऐसा प्रक्रमण नहीं करेगा जिससे बालक के कल्याण पर कोई हानिकारक प्रभाव कारित होने की संभावना हो ।

(3) डाटा विश्वासी, बालक की ट्रेकिंग या व्यवहार संबंधी मानीटरी अथवा बालकों पर निदेशित लक्षित विज्ञापन नहीं करेगा ।

(4) उपधारा (1) और उपधारा (3) के उपबंध किसी बालक के वैयक्तिक डाटा के डाटा विश्वासी के ऐसे वर्गों द्वारा या ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रक्रमण पर लागू नहीं होंगे और ऐसी शर्तों के अध्यधीन होंगे जो विहित की जाएं ।

(5) केन्द्रीय सरकार, यह समाधान होने पर कि डाटा विश्वासी ने यह सुनिश्चित किया है कि बालकों के वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण ऐसी रीति में किया जाता है जो सत्यापित रूप से सुरक्षित है, ऐसे डाटा विश्वासी द्वारा ऐसे प्रक्रमण के लिए उस आयु को अधिसूचित कर सकेगी, जिससे ऊपर डाटा विश्वासी को उपधारा (1) और उपधारा (3) के अधीन सभी या किन्हीं बाध्यताओं के लागू होने से उस डाटा विश्वासी द्वारा प्रक्रमण की बाबत छूट होगी, जैसा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

महत्वपूर्ण डाटा विश्वासी की अतिरिक्त बाध्यताएं ।

10. (1) केन्द्रीय सरकार, किसी डाटा विश्वासी या डाटा विश्वासियों के वर्ग को ऐसे सुसंगत कारकों के निर्धारण के आधार पर, जो अवधारित किए जाएं, महत्वपूर्ण डाटा विश्वासी के रूप में अधिसूचित कर सकेगी, जिसके अंतर्गत, सम्मिलित है,—

(क) प्रक्रमणित वैयक्तिक डाटा की मात्रा और संवेदनशीलता;

(ख) डाटा स्वामी के अधिकारों को जोखिम;

(ग) भारत की संप्रभुता और अखंडता पर संभावित प्रभाव;

(घ) निर्वाचन लोकतंत्र के लिए जोखिम ;

(ङ) राज्य की सुरक्षा; और

(च) लोक व्यवस्था ।

(2) महत्वपूर्ण डाटा विश्वासी—

(क) एक डाटा संरक्षण अधिकारी नियुक्त करेगा, जो—

(i) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन महत्वपूर्ण डाटा विश्वासी का प्रतिनिधित्व करता हो;

(ii) भारत में स्थित हो;

(iii)महत्वपूर्ण डाटा विश्वासी के निदेशक बोर्ड या समान शासी निकाय के प्रति उत्तरदायी व्यक्ति हो ;

(iv) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन शिकायत निवारण तंत्र के लिए संपर्क बिंदू हो ;

(ख) डाटा संपरीक्षा करने के लिए एक स्वतंत्र डाटा संपरीक्षक की नियुक्ति करेगा, जो इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार महत्वपूर्ण डाटा विश्वासी के पालन का मूल्यांकन करेगा; और

(ग) निम्नलिखित उपाय करेगा, अर्थात्:—

(i) कालिक डाटा संरक्षण समाधान निर्धारण, जो ऐसी प्रक्रिया होगी जिसमें डाटा स्वामी के अधिकारों का वर्णन और उनके वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण का प्रयोजन, डाटा स्वामी के अधिकारों का जोखिम निर्धारण और प्रबंधन तथा ऐसे प्रक्रमण से संबंधित ऐसे अन्य मामले जो विहित किए जाएं, सम्मिलित होंगे;

(ii) कालिक संपरीक्षा;

(iii)इस अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप, ऐसे अन्य उपाय जो विहित किए जाएं ।

अध्याय 3

डाटा स्वामी के अधिकार और कर्तव्य

वैयक्तिक डाटा के बारे में सूचना अभिगम अधिकार ।

11. (1) डाटा स्वामी को डाटा विश्वासी (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त डाटा विश्वासी कहा गया है) से, जिसे उसने पूर्व में सहमति दी है, जिसके अंतर्गत धारा 7 के खंड (क) में यथा निर्दिष्ट सहमति भी है, ऐसी रीति में जो विहित की जाए अनुरोध करने पर वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण के लिए,—

(क) वैयक्तिक डाटा का सार, जिसका ऐसे डाटा विश्वासी द्वारा प्रक्रमण किया जा रहा है और ऐसे वैयक्तिक डाटा की बाबत उस डाटा विश्वासी द्वारा प्रक्रमण क्रियाकलाप किए जा रहे हैं;

(ख) साझा किए गए वैयक्तिक डाटा के वर्णन के साथ सभी अन्य डाटा विश्वासियों और डाटा प्रक्रमणकर्ताओं की पहचान, जिनके साथ ऐसे डाटा विश्वासी

द्वारा इस प्रकार वैयक्तिक डाटा साझा किया गया है।

(ग) ऐसे डाटा स्वामी के वैयक्तिक डाटा और उसके प्रक्रमण से संबंधित कोई अन्य सूचना, जो विहित की जाए,

प्राप्त करने का अधिकार होगा ।

(2) उपधारा (1) के खंड (ख) या खंड (ग) में अंतर्विष्ट कोई बात उक्त डाटा विश्वासी द्वारा किसी वैयक्तिक डाटा को ऐसा वैयक्तिक डाटा प्राप्त करने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य डाटा विश्वासी के साथ साझा करने की बाबत लागू नहीं होगी, जहां ऐसा साझाकरण अपराधों या साइबर घटनाओं के निवारण या पता लगाने या अनुसंधान करने या अपराधों के अभियोजन या दंड के उद्देश्य से ऐसे अन्य डाटा विश्वासी द्वारा किए गए लिखित अनुरोध के अनुसरण में किया जाता है ।

वैयक्तिक डाटा सुधारने और मिटाने का अधिकार ।

12. (1) एक डाटा स्वामी को तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अपेक्षा या प्रक्रिया के अनुसार अपने वैयक्तिक डाटा को सुधारने, पूरा करने, अद्यतन करने और मिटानेका अधिकार होगा,जिसके प्रक्रमण के लिए उसने पूर्व में सहमति दी है, जिसके अंतर्गत धारा 7 के खंड (क) में यथा निर्दिष्ट सहमति भी है ।

(2) डाटा विश्वासी, डाटा स्वामी से सुधार, पूर्णता या अद्यतन के लिए अनुरोध प्राप्त होने पर,—

(क) गलत या भ्रामक वैयक्तिक डाटा सही करेगा;

(ख) अपूर्ण वैयक्तिक डाटा पूर्ण करेगा; और

(ग) वैयक्तिक डाटा अद्यतन करेगा ।

(3) डाटा स्वामी, अपने वैयक्तिक डाटा को मिटाने के लिए डाटा विश्वासी को ऐसी रीति में, जो विहित की जाए अनुरोध करेगा और ऐसा अनुरोध प्राप्त होने पर डाटा विश्वासी उसके वैयक्तिक डाटा को मिटा देगा, जब तक कि उसे विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुपालन के लिए बनाए रखना आवश्यक न हो ।

शिकायत निवारण का अधिकार ।

13. (1) डाटा स्वामी को ऐसे डाटा स्वामी के वैयक्तिक डाटा संबंधी अपनी बाध्यताओं के पालन या इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन अपने अधिकारों के प्रयोग के संबंध में डाटा विश्वासी या सहमति प्रबंधक के किसी कार्य या लोप की बाबत, डाटा विश्वासी या सहमति प्रबंधक द्वारा प्रदत्त शिकायत निवारण के आसानी से उपलब्ध साधनों को प्राप्त करने का अधिकारहोगा ।

(2) डाटा विश्वासी या डाटा स्वामी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी शिकायत का उत्तर, डाटा विश्वासी के सभी या किन्हीं वर्गों के लिए उसकी प्राप्ति की तारीख से ऐसी अवधि के भीतर जो विहित की जाए देगा ।

(3) डाटा स्वामी,बोर्ड से संपर्क करने से पहले इस धारा के अधीन अपनी शिकायत के निवारण के अवसर का उपयोग करेगा ।

नाम निर्देशन की शक्ति ।

14. (1) डाटा स्वामी को किसी अन्य व्यष्टि को ऐसी रीति में जो विहित की जाए नाम निर्देशित करने का अधिकार होगा, जो डाटा स्वामी की मृत्यु या असक्षमता की दशा में इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए उपबंधों के अनुसार डाटा स्वामी के अधिकारों का प्रयोग करेगा ।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए "असक्षमता" पद से विकृतचितता या अंग शैथिल्य के कारण इस अधिनियम या उसके बनाए गए नियमों के अधीन डाटा विश्वासी के अधिकारों का प्रयोग करने में असक्षमता अभिप्रेत है ।

डाटा स्वामी के कर्तव्य ।

15. डाटा स्वामी निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगा, अर्थात्:—

(क) इस अधिनियम के उपबधों के अधीन अधिकारों का प्रयोग करते समय तत्समय प्रवृत सभी लागू विधियों के उपबंधों का अनुपालन करना;

(ख) यह सुनिश्चित करना कि विनिर्दिष्ट उद्देश्य के लिए अपना वैयक्तिक डाटा प्रदान करते समय किसी अन्य व्यक्ति का प्रतिरूपण न किया जाए;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि राज्य या उसके किन्हीं परिकरणों द्वारा जारी किए गए किसी दस्तावेज, विशिष्ट पहचानकर्ता, पहचान के सबूत या पते के सबूत के लिए अपना वैयक्तिक डाटा प्रदान करते समय किसी महत्वपूर्ण सूचना को नहीं छुपाया गया हो ;

(घ) यह सुनिश्चित करना कि डाटा विश्वासी या बोर्ड के समक्ष कोई मिथ्या या तुच्छ शिकायत या परिवाद रजिस्टर नहीं किया गया हो;

(ङ) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन सुधार या मिटाने के अधिकार का प्रयोग करते समय केवल ऐसी जानकारी प्रस्तुत की जाए, जो सत्यापन योग्य रूप से अधिप्रमाणित हो ।

अध्याय 4

विशेष उपबंध

भारत के बाहर वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण ।

16. (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा भारत के बाहर ऐसे देश या राज्यक्षेत्र में, जो इस प्रकार अधिसूचित किए जाएं,प्रक्रमण के लिएडाटा विश्वासी द्वारा वैयक्तिक डाटा के अंतरण को निर्बंधित कर सकेगी ।

(2) इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात भारत में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के लागू होने को निर्बंधित नहीं करेगी जो किसी वैयक्तिक डाटा या डाटा विश्वासी या उसके किसी वर्ग के संबंध में भारत के बाहर डाटा विश्वासी द्वारा वैयक्तिक डाटा के अंतरण के लिए उच्च स्तरीय संरक्षण या निर्बंधन का उपबंध करती है ।

छूट ।

17. (1) धारा 8 की उपधारा (1) और उपधारा (5) के सिवाय अध्याय 2 के उपबंध और अध्याय 3 तथा धारा 16 लागू नहीं होगी, जहां—

(क) किसी विधिक अधिकार या दावे के प्रवर्तन के लिए वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण आवश्यक है ।

(ख) भारत में किसी न्यायालय या अधिकरण या किसी अन्य निकाय द्वारा वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण किया जाता है जो किसी न्यायिक या अदर्धन्यायिक या विनियामक या पर्यवेक्षीय कृत्यों के पालन के साथ विधि द्वारा न्यस्त है, जहां ऐसा प्रक्रमण ऐसे कृत्यों के पालन के लिए आवश्यक है ।

(ग) ऐसे व्यक्तिगत डाटा का प्रक्रमण भारत में किसी अपराध या तत्समय प्रवृत किसी विधि के अतिक्रमण की रोकथाम, पता लगाने, अनुसंधान या अभियोजन के हित में किया जाता है ।

(घ) डाटा स्वामी का जो भारत के राज्यक्षेत्र में नहीं है, वैयक्तिक डाटा भारत में स्थित किसी व्यक्ति द्वारा भारत के राज्यक्षेत्र से बाहर किसी व्यक्ति के साथ की गई संविदा के अनुसरण में प्रक्रमणिक किया जाता है ।

(ङ) दो या दो से अधिक कंपनियों के समझौते या ठहराव या विलय या समामेलन या किसी कंपनी के पुनर्विलय या लेखा के माध्यम से पुनर्निमाण या एक या अधिक कंपनी के उपक्रम का दूसरी कंपनी को अंतरण या एक या अधिक कंपनियों के विभाजन को अंतरित करने वाली स्कीम के लिए आवश्यक प्रक्रमण न्यायालय या अधिकरण या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा ऐसा करने के लिए सक्षम अन्य प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाता है; और

(च) प्रक्रमण, किसी ऐसे व्यक्ति की वित्तीय जानकारी और आस्तियों तथा बाध्यताओं को अभिनिश्चित करने के प्रयोजन से है जिसने किसी वित्तीय संस्था से लिए गए किसी ऋण या अग्रिम के कारण देय का संदाय करने में, ऐसे प्रक्रमण के अध्यधीन जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसार जानकारी या डाटा के प्रकटीकरण के संबंध में उपबंधों के अनुसार है, व्यतिक्रम किया है ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "व्यतिक्रम" और "वित्तीय संस्था" पदों का वही अर्थ होगा, जो उनका दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 3 की उपधारा (12) और उपधारा (14) में है । (2016 का 31)

दृष्टांत : कोई व्यष्टि X, जो किसी बैंक Y, से ऋण लेता है। X, अपने मासिक ऋण की किस्त का पुनर्संदाय, उसकी देय तारीख पर जिसको यह देय है, करने में व्यतिक्रम करता है । Y, उसकी वित्तीय जानकारी और आस्तियों तथा बाध्यताओं को अभिनिश्चित करने के लिए X के वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण कर सकेगा ।

(2) इस अधिनियम के उपबंध वैयक्तिक डाटा प्रक्रमण करने के संबंध में निम्नलिखित को लागू नहीं होंगे,—

(क) राज्य के ऐसे अभिकरण, जो केंद्रीय सरकार, भारत की संप्रभुता और सत्यनिष्ठा, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था बनाए रखने या इनमें से किसी के संबंध में कोई संज्ञेय अपराध के कारित होने के प्रति उद्दीपन के निवारण के लिए, अधिसूचित करे और किसी वैयक्तिक डाटा को केंद्रीय सरकार द्वारा प्रक्रमण करने के लिए ऐसे परिकरण द्वारा प्रस्तुत किया जाए; और

(ख) शोध, अभिलेखागार या सांख्यिकी संबंधी प्रयोजनों के लिए आवश्यक हो, यदि वैयक्तिक डाटा, डाटा प्रधान के विशिष्ट विनिश्चय लेने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है और ऐसा प्रक्रमण ऐसे मानकों के अनुसार किया जाता है, जो विहित किया जाए ।

(3) केंद्रीय सरकार प्रक्रमण किए गए वैयक्तिक डाटा के मान और प्रकृति को ध्यान में रखते हुए कतिपय डाटा विश्वासी या डाटा विश्वासी प्रवर्ग, जिसके अंतर्गत स्टाट्र्स-अप भी हैं, को डाटा विश्वासी के रूप में अधिसूचित कर सकेगी जिन्हें धारा 5 की उपधारा (3) और धारा 8 की उपधारा (7) तथा धारा 10 और धारा 11 के उपबंध लागू नहीं होंगे।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "स्टार्ट-अप" पद से कोई प्राइवेट

लिमिटेड कंपनी या भागीदारी फर्म या भारत में निगमित कोई सीमित दायित्व भागीदारी अभिप्रेत है, जो ऐसे विभाग द्वारा अधिसूचित मानदंडों और प्रक्रिया के अनुसार होने वाली पात्र और इस प्रकार मान्यताप्राप्त है जिसे केंद्रीय सरकार में स्टार्ट-अप से संबंधित विषय आबंटित हैं ।

(4) धारा 8 की उपधारा (7) और धारा 12 की उपधारा (3) के उपबंध राज्य या राज्य के किसी परिकरण द्वारा प्रक्रमण करने के संबंध में, जहां ऐसा प्रक्रमण उस प्रयोजन के लिए है, जिसमें कोई ऐसा विनिश्चय करना सम्मिलित नहीं है, जो डाटा प्रधान को प्रभावित करे, वहां धारा 12 की उपधारा (2) लागू नहीं होगी ।

(5) केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति के पूर्व अधिसूचना द्वारा घोषणा कर सकेगी कि इस अधिनियम का कोई उपबंध ऐसे डाटा विश्वासी या डाटा विश्वासी वर्ग को ऐसी अवधि के लिए लागू नहीं होगा, जो अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

अध्याय 5

भारतीय डाटा संरक्षण बोर्ड

बोर्ड की स्थापना ।

18. (1) ऐसी तारीख से, जो केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भारतीय डाटा संरक्षण बोर्ड नामक एक बोर्ड की स्थापना करेगी ।

(2) बोर्ड, उपरोक्त नाम द्वारा निगमित निकाय होगा जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी और जिसे, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए जंगम और स्थावर दोनों प्रकार की संपत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करने की और संविदा करने की शक्ति होगी तथा वह उक्त नाम से वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जाएगा ।

(3) बोर्ड का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए ।

संरचना तथा अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं ।

19. (1) बोर्ड, एक अध्यक्ष और उतने अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा, जो केंद्रीय सरकार अधिसूचित करे ।

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति ऐसी रीति में जो विहित की जाए, की जाएगी ।

(3) अध्यक्ष और अन्य सदस्य योग्यता, सत्यनिष्ठा और ख्याति वाले व्यक्ति होंगे जिन्हें डाटा संरक्षण, सामाजिक या उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित विधियों के प्रशासन या कार्यान्वयन, विवाद समाधान, सूचना प्रौद्योगिकी, डाटा प्रबंध, विधि ,विनियमन या प्रौद्यो-विनियमन या सम्बन्धित विषयों के अन्य क्षेत्रों में, जो केंद्रीय सरकार की राय में बोर्ड के लिए लाभदायक हो और उनमें से कम से कम एक सदस्य विधि के क्षेत्र में विशेषज्ञ होगा ।

वेतन, उनको संदेय भत्ते और पदावधि ।

20. (1) अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का वेतन, भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं तथा उनकी नियुक्ति के पश्चात् उनके प्रतिकूल कोई फेरफार नहीं किया जाएगा ।

(2) अध्यक्ष और अन्य सदस्य दो वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे और

पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे ।

बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों के रूप में नियुक्ति और बने रहने के लिए निर्हताएं ।

21. (1) कोई व्यक्ति, अध्यक्ष या किसी सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने या बने रहने के लिए निरर्हित होगा, यदि वह,—

(क) जिसे दिवालिया के रूप में न्यायनिर्णीत किया गया है ;

(ख) जिसे किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है जिसमें केन्द्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्वलित है ;

(ग) जो सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हो गया है ;

(घ) जिसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है जिससे सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है ; या

(ङ) जिसने अपनी स्थिति का ऐसा दुरुपयोग किया है जिससे उसका पद पर बने रहना लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है ।

(2) अध्यक्ष या कोई सदस्य केंद्रीय सरकार द्वारा अपने पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा, जब तक कि उसे सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

सदस्यों द्वारा त्यागपत्र और रिक्ति का भरा जाना ।

22. (1) अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य केंद्रीय सरकार को लिखित में सूचना देकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा और ऐसा त्यागपत्र उस तारीख से जिसको केंद्रीय सरकार उसे अपना पद त्याग करना अनुज्ञात करती है या ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन मास की अवधि की समाप्ति पर या उसके पद पर सम्यक् रूप से उत्तरवर्ती नियुक्त किए जाने पर या उसकी पदावधि की समाप्ति पर, जो भी पहले हो, प्रभावी होगा ।

(2) अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य द्वारा त्यागपत्र दिए जाने या हटाए जाने या मृत्यु या अन्यथा के कारण हुई रिक्ति को इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नई नियुक्ति द्वारा भरा जाएगा ।

(3) अध्यक्ष और कोई अन्य सदस्य केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के सिवाय ऐसे पद पर न बने रहने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए कोई नियोजन स्वीकार नहीं करेगा और केंद्रीय सरकार को ऐसे डाटा विश्वासी के साथ जिसके विरुद्ध कार्रवाइयां ऐसे अध्यक्ष या अन्य सदस्य द्वारा या उसके समक्ष प्रारंभ की गई थी, कोई पश्चातवर्ती नियोजन स्वीकृत करने का भी प्रकटीकरण करेगा ।

बोर्ड की कार्यवाहियां ।

23. (1) बोर्ड, अपनी बैठकों में कारबार का संव्यवहार, जिसके अंतर्गत डिजीटल साधनों द्वारा भी है, करने के संबंध में ऐसी प्रक्रिया का पालन तथा अपने आदेशों, निदेशों और लिखतों का अधिप्रमाणन ऐसी रीति में करेगा, जो विहित की जाए, ।

(2) बोर्ड का कोई कार्य या कार्यवाही केवल निम्नलिखित कारण से अविधिमान्य नहीं होगी——

(क) किसी रिक्ति या बोर्ड के गठन में त्रुटि का होना ;

(ख) बोर्ड के अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि होना ; या

(ग) बोर्ड की प्रक्रिया में कोई अनियमितता होना, जिसका मामले के गुणावगुण पर कोई प्रभाव न हो ।

(3) जब अध्यक्ष अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से असमर्थ है तो वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के कृत्यों का उस तारीख तक, जिस तक अध्यक्ष अपने कर्तव्यों को पुन: ग्रहण करे, निर्वहन करेगा ।

बोर्ड के अधिकारी और कर्मचारी ।

24. बोर्ड, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से उतने अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त कर सकेगा जितने वह इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन, ऐसी नियुक्ति और सेवा के निबंधनों तथा शर्तों पर, जो विहित किए जाएं, उसके कृत्यों के दक्ष निर्वहन के लिए आवश्यक समझे ।

सदस्यों और अधिकारियों का लोक सेवक होना ।

25. बोर्ड के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी, जब इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में कार्य करें या कार्य करना तात्पर्यित हो, भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थान्वयन में लोक सेवक होंगे । 1860 का 45

अध्यक्ष की शक्तियां ।

26. अध्यक्ष, निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा, अर्थात् :—

(क) बोर्ड के सभी प्रशासनिक मामलों के संबंध में साधारण अधीक्षण और निदेश देना ;

(ख) बोर्ड को संबोधित किसी सूचना, शिकायत, निर्देश या पत्राचार के संबंध में जांच करने के लिए बोर्ड के किसी अधिकारी को प्राधिकृत करना ; और

(ग) बोर्ड के किन्हीं कृत्यों के कार्यान्वयन और उसकी किन्हीं कार्यवाहियों को संचालित करने के लिए किसी व्यष्टिक सदस्य या सदस्यों के समूह को प्राधिकृत करना और उनमें से किसी सदस्य को कार्यवाहियां आबंटित करना ।

अध्याय 6

शक्तियां, कृत्य और बोर्ड द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया

बोर्ड की शक्तियां और कृत्य ।

27. (1) बोर्ड, निम्नलिखित कृत्य करेगा तथा शक्तियों का प्रयोग करेगा, अर्थात् :—

(क) धारा 8 की उपधारा (6) के अधीन वैयक्तिक डाटा भंग की किसी सूचना की प्राप्ति पर, किसी वैयक्तिक डाटा भंग की दशा में तात्कालिक सुधार या उपशमन उपाय हेतु निदेश देना और ऐसे वैयक्तिक डाटा भंग की जांच करना तथा इस अधिनियम में यथा उपबंधित शास्ति अधिरोपित करना ;

(ख) किसी डाटा प्रधान द्वारा वैयक्तिक डाटा भंग के संबंध में या किसी डाटा विश्वासी द्वारा वैयक्तिक डाटा के संबंध में अपनी बाध्यताओं का अनुपालन भंग करने या इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अपने अधिकारों के प्रयोग करने या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा उसे निर्दिष्ट किए गए किसी निर्देश पर या किसी न्यायालय के निदेशों की अनुपालना में ऐसे भंग की बाबत जांच करना और इस अधिनियम में यथा उपबंधित शास्ति अधिरोपित करना ।

(ग) ऐसे भंग में जांच और शास्ति अधिरोपित करने के लिए जैसा कि अधिनियम में उपबंधित किया गया है, संबद्ध प्रबंधक द्वारा उसके वैयक्तिक डाटा के संबंध में उसके आक्षेपों के अनुपालन में भंग के संबंध में डाटा प्रधान द्वारा की गई शिकायत पर ;

(घ) ऐसे भंग में जांच के लिए और शास्ति अधिरोपित करने के लिए जैसा कि अधिनियम में उपबंधित किया गया है, संबद्ध प्रबंधक के रजिस्ट्रेशन के किसी दशा

के भंग की सूचना की प्राप्ति पर ;

(ङ) ऐसे भंग में जांच के लिए और शास्ति अधिरोपित करने के लिए जैसा कि अधिनियम में उपबंधित किया गया है, किसी मध्यवर्ती द्वारा धारा 36 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुपालन में भंग के संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा किए गए निर्देश पर ।

(2) बोर्ड, संबद्ध व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर प्रदान किए जाने और कारणों को अभिलिखित किए जाने के पश्चात्, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अपने कृत्यों का प्रभावी निर्वहन करने के लिए ऐसे निदेश जारी करेगा जो वह ऐसे व्यक्ति के लिए आवश्यक समझे, जो समान अनुपालन करने के लिए बाध्यकारी होगा ।

(3) बोर्ड, उपधारा (1) अथवा उपधारा (2) के अधीन या केंद्रीय सरकार द्वारा किए गए निर्देश पर प्रभावित व्यक्ति द्वारा उसके लिए किए गए अभ्यावेदन पर, ऐसे निर्देश को उपांतरित, निलंबित या वापस ले सकता है या निरस्त कर सकता है और ऐसा करते समय उस विषय के अधीन जिसमें उपांतरण, निलंबन, वापसी या निरस्त किया जाना प्रभावित होगा ऐसी शर्तें अधिरोपित करेगा, जो वह ठीक समझे ।

बोर्ड द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया।

28. (1) बोर्ड, स्वतंत्र निकाय के रूप में कृत्य करेगा और यथासाध्य शिकायतों की प्राप्ति के साथ डिजिटल पद के रूप में कृत्य करेगा और डिजाइन द्वारा डिजिटल रूप में उसी संबंध में आबंटन,सुनवाई तथा विनिश्चय की उद्घोषणा करेगा और ऐसी तकनीकी-विधिक तंत्र को अंगीकृत करेगा, जो विहित की जाए।

(2) बोर्ड, धारा 27 की उपधारा (1) में यथा विनिर्दिष्ट रूप में सूचना या शिकायत या निर्देश या निदेशों की प्राप्ति पर अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई करेगा ।

(3) बोर्ड अवधारित करेगा कि क्या किसी जांच की कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है ।

(4) बोर्ड की अवधारण के मामले में कि अपर्याप्त आधार है वह अभिलिखित रूप में कारणों के लिए कार्यवाही को बंद कर सकता है ।

(5) बोर्ड की अवधारणा के संबंध में कि जांच की कार्यवाही के संबंध में पर्याप्त आधार हैं, वह अभिलिखित में कारणों के लिए सुनिश्चितता के लिए किसी व्यक्ति के मामले में जांच करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने इस अधिनियम के उपबंधों का पालन कर रहा है या पालन किया है ।

(6) बोर्ड प्राकृतिक न्याय के निम्नलिखित सिद्धांतों के ऐसी जांच आयोजित करेगा और ऐसी जांच के अनुक्रम के दौरान उसके कार्यों के लिए कारणों को अभिलिखित करेगा ।

(7) इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजन के लिए बोर्ड को वही शक्तियां प्राप्त होंगी जैसा निम्नलिखित मामलों के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन सिविल न्यायालय को है---

1908 का 5

(क) शपथ पर किसी व्यक्ति का समन किया जाना और उपस्थिति को प्रवृतित करना और उसकी परीक्षा करना ;

(ख) खोज और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित शपथपत्र के

साक्ष्य की प्राप्ति करना ;

(ग) किसी डाटा, पुस्तक, दस्तावेज, रजिस्टर, लेखा बही या अन्य दस्तावेज का निरीक्षण करना ; और

(घ) ऐसे अन्य दस्तावेज जो विहित किया जाए ।

(8) बोर्ड या उसके अधिकारी किसी परिसर की पहुंच से निवारित नहीं करेगा या किसी ऐसे उपस्कर या कोई मद अभिरक्षा में नहीं लेंगे जो किसी व्यक्ति के कृत्य में दिन प्रतिदिन प्रभाव डालता हो ।

(9) बोर्ड इस धारा के प्रयोजनों के लिए उसकी सहायता के लिए किसी पुलिस अधिकारी या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी की सेवाओं की अपेक्षा कर सकेगा और यह ऐसी अध्यपेक्षा के अनुपालन के लिए प्रत्येक ऐसे अधिकारी का कर्तव्य होगा ।

(10) जांच के क्रम के दौरान, यदि बोर्ड विचार करने के लिए आवश्यक समझे, अभिलिखित रूप में कारणों के लिए सुनवाई का अवसर प्रदान करके संबद्ध व्यक्ति को अंतरिम आदेश जारी करेगा ।

(11) जांच के पूर्ण होने पर और किसी व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात्, बोर्ड अभिलिखित रूप में कारणों के लिए धारा 33 के अनुसरण में या तो कार्यवाही समाप्त करेगा या कार्यवाही करेगा ।

(12) किसी शिकायत की प्राप्ति के पश्चात् किसी स्तर पर, यदि बोर्ड की यह राय है कि शिकायत झूठी या तुक्ष्छ है, शिकायतकर्ता पर चेतावनी जारी करेगा या कीमत अधिरोपित करेगा ।

अध्याय 7

अपील और वैकल्पिक विवाद समाधान

अपील अधिकरण के लिए अपील ।

29. (1) इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा किए गए किसी आदेश या निर्देश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति अपील अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक अपील, अपील किए जाने के विरुद्ध किसी आदेश या निर्देश की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर फाइल करेगा और वह उस प्ररूप और रीति में होगी और ऐसी फीस द्वारा संगत होगी जो विहित की जाए ।

(3) अपील अधिकरण, उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान के पश्चात् किसी अपील को ग्रहण करेगा, यदि उसका यह समाधान होता है कि उक्त अवधि के भीतर अपील को नहीं प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त कारण थे ।

(4) उपधारा (1) के अधीन किसी अपील की प्राप्ति पर, अपील अधिकरण अपील के लिए पक्षकारों को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात् उस अपील के विरुद्ध, सुनिश्चित करके, उपांतरित करके या एकपक्षीय आदेश पारित करेगा, जो वह ठीक समझे।

(5) अपील अधिकरण बोर्ड और अपील के पक्षकारों के लिए उसके द्वारा प्रत्येक आदेश की प्रति को भेजेगा ।

(6) उपधारा (1) के अधीन अपील अधिकरण के समक्ष फाइल की गई कोई अपील

यथासंभवशीघ्र उसके द्वारा की गई समझी जाएगी तथा उस तारीख से, जिसको अपील प्रस्तुत की गई है, छह मास के भीतर पूर्णतया अपील का निपटान करने का प्रयास किया जाएगा ।

(7) जहां उपधारा (6) के अधीन किसी अपील का छह मास की अवधि के भीतर निपटान नहीं किया जा सकता है, अपील अधिकरण उक्त अवधि के भीतर अपील के निपटान नहीं किए जाने वाले कारणों को अभिलिखित करेगा ।

1997 का 24

(8) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 14क और धारा 16 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अपील अधिकरण ऐसी प्रक्रिया के अनुसार जो विहित की जाए, इस धारा के अधीन अपील पर कार्यवाही करेगी ।

(9) जहां कोई अपील इस अधिनियम के अधीन अपील अधिकरण के आदेश के विरुद्ध फाइल की जाती है, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 18 के उपबंध लागू होंगे ।

(10) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन फाइल की गई अपीलों के संबंध में अपील अधिकरण यथासाध्य अपील की सुनवाई की प्राप्ति के साथ डिजिटल पद के रूप में विनिश्चय की सुनवाई और घोषणा करेगा जिसके संबंध में डिजाइन द्वारा डिजिटल किया जा रहा है ।

अपील अधिकरण द्वारा पारित आदेश को डिक्री के रूप में निष्पादित करना।

30. (1) इस अधिनियम के अधीन अपील अधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश इस प्रकार निष्पादित किया जाएगा जैसे सिविल न्यायालय की डिक्री हो, और इस प्रयोजन के लिए अपील अधिकरण को सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए, अपील अधिकरण स्थानीय अधिकारिता होते हुए सिविल न्यायालय के लिए उसके द्वारा कोई आदेश पारेषित कर सकेगा तथा ऐसा सिविल न्यायालय आदेश निष्पादित करेगा मानो यदि उसे उस न्यायालय द्वारा डिक्री दी गई थी ।

वैकल्पिक विवाद समाधान ।

31. यदि बोर्ड की यह राय है कि कोई मध्यकता द्वारा किसी शिकायत का समाधान किया जा सकता है, ऐसे मध्यस्थ द्वारा मध्यस्थता के माध्यम से विवाद के समाधान का प्रयास करने के लिए संबद्ध पक्षकारों को निदेश दिया जा सकता है जैसे उस पर पक्षकारों की पारस्परिक सहमति हो गई हो या भारत में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उपबंधित किया गया हो ।

स्वैच्छिक वचनबंध ।

32. (1) बोर्ड धारा 28 के अधीन कार्यवाही के किसी स्तर पर किसी व्यक्ति से इस अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन के लिए संबंधित किसी मामले के संबंध में स्वैच्छिक वचनबंध स्वीकार कर सकता है ।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट स्वैच्छिक वचनबंध में ऐसे समय के भीतर ऐसी कार्यवाही को अपनाने के लिए कोई वचन सम्मिलित है जो बोर्ड द्वारा अवधारित किया जा सकता हो, अथवा ऐसी कार्रवाई करने के से दूर हो तथा ऐसे वचनबंध को विज्ञापित किया जा रहा हो ।

(3) बोर्ड स्वैच्छिक वचनबंध प्राप्त करने के पश्चात और ऐसे व्यक्ति की सहमति के साथ जिसने स्वैच्छिक दिया है शर्तों से अलग हो सकता है जिसमें स्वैच्छिक वचनबंध भी है।

(4) बोर्ड द्वारा स्वैच्छिक वचनबंध की प्राप्ति उपधारा (5) द्वारा आने वाले मामलों के सिवाय स्वैच्छिक वचनबंध की अंतर्वस्तु के संबंध में इस अधिनियम के उपबंध के अधीन कार्यवाहियों पर एक बार का गठन करेगा ।

(5) जहां कोई व्यक्ति बोर्ड द्वारा स्वीकृत स्वैच्छिक वचनबंध के निबंधन का अनुपालन करने में विफल होता है, ऐसा भंग इस अधिनियम के उपबंधों का भंग समझा जाएगा और बोर्ड ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् धारा 33 के उपबंधों के अनुसरण में कार्यवाही करेगा ।

अध्याय 8

शास्तियां और न्यायनिर्णयन

शास्तियां ।

33. (1) यदि बोर्ड किसी जांच के निष्कर्ष पर अवधारित करता है कि किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का भंग महत्वपूर्ण है, वह किसी व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात् अनुसूची में निर्दिष्ट ऐसी धनीय शास्ति अधिरोपित करेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिरोपित की जाने वाली धनीय शास्ति की रकम को अवधारित करते समय, बोर्ड निम्नलिखित मामलों से संबंध रखेगा, अर्थात् :—

(क) भंग की प्रकृति, गंभीरता तथा अवधि ;

(ख) भंग द्वारा प्रभावित वैयक्तिक डाटा का प्रकार और प्रकृति ;

(ग) भंग की पुनरावृत्ति प्रकृति ;

(घ) कोई व्यक्ति भंग के परिणाम के रूप में लाभ प्राप्त किया है या किसी हानि से बच गया है ;

(ङ) कोई व्यक्ति प्रभावों के समन के लिए तथा भंग के परिणामस्वरूप और ऐसी कार्यवाई की समयबद्धता तथा प्रभाविकता के लिए कोई कार्यवाई करता है ।

(च) इस अधिनियम के उपबंधों का पालन सुनिश्चित करने तथा उनके भंग से भयाक्रांत करने को ध्यान में रखते हुए, क्या अधिरोपित की जाने वाली धनीय शास्ति समानुपाती और प्रभावी है ; और

(छ) व्यक्ति पर धनीय शास्ति अधिरोपित करने का संभाव्य प्रभाव ।

शास्तियों के माध्यम से प्राप्त राशियों को भारत की संचित निधि में जमा किया जाना ।

34. इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा अधिरोपित शास्तियों के माध्यम से प्राप्त सभी राशियां भारत की संचित निधि में जमा की जाएंगी ।

अध्याय 9

प्रकीर्ण

सदभावपूर्वक की गई कारंवाई के लिए संरक्षण ।

35. केंद्रीय सरकार, बोर्ड, इसके अध्यक्ष और किसी अन्य सदस्य, उसके अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध सदभावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए तात्पर्यित किसी बात के लिए इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्रवाईयां नहीं की जाएंगी ।

सूचना मांगने की शक्ति ।

36. केंद्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, बोर्ड या किसी डाटा विश्वासी या मध्यवर्ती से ऐसी सूचना प्रस्तुत करना अपेक्षित कर सकेगी, जो वह मांगे ।

निदेश जारी करने की केंद्रीय सरकार की शक्ति ।

37. (1) केंद्रीय सरकार या इसके द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से प्राधिकृत कोई अधिकारी, बोर्ड से निम्नलिखित प्रतिनिर्देश प्राप्ति पर कि—

(क) किसी डाटा विश्वासी पर दो या अधिक अवसरों पर बोर्ड द्वारा धनीय शास्ति के अधिरोपण की सूचना देता है ; और

(ख) जनसाधारण के हित में किसी कंप्यूटर संसाधन में सृजित, पारेषित, प्राप्त, भंडारित या परिपोषित किसी सूचना को जनसाधारण द्वारा पहुंच के लिए अवरुद्ध करने की सलाह देता है, जो ऐसे डाटा विश्वासी को भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर डाटा प्रधानों को माल या सेवाओं के आमंत्रण से संबंधित किसी क्रियाकलाप को करने में समर्थ बनाता है,

उस डाटा विश्वासी को सुनवाई का एक अवसर देने के पश्चात् यह समाधान होने पर कि जनसाधारण के हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, कारणों को लेखबद्ध करते हुए, आदेश द्वारा केंद्रीय सरकार के किसी अभिकरण या किसी मध्यवर्ती को ऐसी किसी सूचना तक जनसाधारण द्वारा पहुंच को अवरुद्ध करने या अवरुद्ध करवाने का निदेश दे सकेगी ।

(2) प्रत्येक मध्यवर्ती, जो उपधारा (1) के अधीन जारी निदेश प्राप्त करता है, उसका अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा ।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "कंप्यूटर संसाधन", "सूचना" और "मध्यवर्ती" के
2000 का 21 वही अर्थ होंगे, जो क्रमश: उनके सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में है ।

अन्य विधियों के साथ संगतता ।

38. (1) इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे न कि उसके अल्पीकरण में ।

(2) इस अधिनियम के उपबंध तथा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंध के बीच विवाद होने की दशा में, इस अधिनियम के उपबंध ऐसे विवाद की सीमा तक अभिभावी होंगे ।

अधिकारिता पर रोक ।

39. कोई सिविल न्यायालय ऐसे किसी विषय के संबंध में किसी वाद या कार्यवाही किसी सुनवाई की अधिकारिता नहीं रखेगा, जिसके लिए इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन बोर्ड सशक्त है तथा इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी शक्ति के अनुसरण में की गई किसी कार्रवाई या की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी द्वारा कोई व्यादेश अनुदत्त नहीं किया जाएगा ।

नियम बनाने की शक्ति ।

40. (1) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा तथा पूर्व प्रकाशन की शर्तों के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए इस अधिनियम के उपबंधों से संगत नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन वह रीति, जिसमें डाटा विश्वासी द्वारा डाटा प्रधान को दी गई सूचना उसे सूचित करेगी ;

(ख) धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन वह रीति, जिसमें डाटा विश्वासी द्वारा डाटा प्रधान को दी गई सूचना उसे सूचित करेगी ;

(ग) धारा 6 की उपधारा (8) के अधीन सहमति प्रबंधक की जवाबदेही की रीति तथा उसके दायित्व ;

(घ) धारा 6 की उपधारा (9) के अधीन सहमति प्रबंधक के रजिस्ट्रीकरण की रीति तथा उससे संबंधित शर्तें ;

(ङ) धारा 7 की खंड (ख) के अधीन परिदान, फायदा, सेवा, प्रमाणपत्र, अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा या जिसके उपबंध या जारी किए जाने के लिए व्यक्तिगत डाटा प्रक्रियागत किया जा सकेगा ;

(च) धारा 8 की उपधारा (6) के अधीन बोर्ड को व्यक्तिगत डाटा भंग की सूचना देने का प्ररूप और रीति ;

(छ) धारा 8 की उपधारा (8) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रयोजन हल किया गया न समझा जाने के लिए समयावधि ;

(ज) धारा 8 की उपधारा (9) के अधीन डाटा सुरक्षा अधिकारी की कारबार संपर्क सूचना प्रकाशित करने की रीति ;

(झ) धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन सत्यापित सहमति प्राप्त करने की रीति ;

(ञ) धारा 9 की उपधारा (4) के अधीन डाटा विश्वासियों के वर्ग, बालक के व्यक्तिगत डाटा को प्रक्रियागत करने के प्रयोजन तथा उससे संबंधित शर्तें ;

(ट) धारा 10 की उपधारा (2) के खंड (ग) के उपखंड (i) के अधीन डाटा सुरक्षा समाघात निर्धारण की प्रक्रिया से मिलकर बने अन्य विषय ;

(ठ) धारा 10 की उपधारा (2) के खंड (ग) के उपखंड (iii) के अधीन वे अन्य कदम, जो महत्वपूर्ण डाटा विश्वासी उठाएगा ;

(ड) धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन वह रीति, जिसमें कोई डाटा प्रधान डाटा विश्वासी को सूचना प्राप्त करने के लिए निवेदन करेगा तथा ऐसे डाटा प्रधान के व्यक्तिगत डाटा से संबंधित कोई अन्य सूचना और इसे प्रक्रियागत करना ;

(ढ) धारा 12 की उपधारा (3) के अधीन वह रीति, जिसमें कोई डाटा प्रधान डाटा विश्वासी को उसका व्यक्तिगत डाटा हटाने के लिए निवेदन करेगी ;

(ण) धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन वह अवधि, जिसके भीतर डाटा विश्वासी किन्हीं शिकायतों का उत्तर देगा ;

(त) धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन डाटा प्रधान द्वारा किसी अन्य व्यष्टिक को नामनिर्दिष्ट करने की रीति ;

(थ) धारा 17 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन छूट के लिए व्यक्तिगत डाटा प्रक्रियागत करने के मानक ;

(द) धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति की रीति ;

(ध) धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ;

(न) धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन आदेशों, निदेशों और लिखतों के अधिप्रमाणन की रीति ;

(प) धारा 24 के अधीन बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति और सेवा के निबंधन और शर्तें ;

(फ) धारा 28 की उपधारा (1) के अधीन बोर्ड द्वारा अंगीकृत किए जाने वाले प्रौद्योगिकी - विधिक उपाय ;

(ब) धारा 28 की उपधारा (7) के खंड (घ) के अधीन अन्य विषय ;

(भ) धारा 29 की उपधारा (2) के अधीन अपील फाइल करने के लिए प्ररूप, रीति और फीस ;

(म) धारा 29 की उपधारा (8) के अधीन अपील व्यौहार करने के लिए प्रक्रिया ;

(य) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाना है या विहित किया जाए या जिसके संबंध में उपबंध नियमों द्वारा किए जाने हैं या किए जाएं ।

नियमों और कतिपय अधिसूचनाओं का रखा जाना ।

41. इस अधिनियम की धारा 16 तथा धारा 42 के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना उसे बनाए जाने के तुरन्त पश्चात् संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा यह अवधि एक सत्र या दो या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में हो सकेगी और यदि पूर्वोक्त सत्र अनुक्रमिक सत्रों से तुरन्त पूर्व सत्र के अवसान से पूर्व दोनों सदन यथास्थिति, नियम या अधिसूचना में कोई उपांतरण करने पर सहमत हो जाते हैं या दोनों सदन इस बात के लिए सहमत हो जाते हैं कि यथास्थिति, ऐसे नियम या अधिसूचना को नहीं बनाया जाना चाहिए तो ऐसा नियम या अधिसूचना यथास्थिति, केवल ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगा या प्रभावी नहीं रहेगा तथापि ऐसा कोई उपांतरण या रद्दकरण, उस नियम या अधिसूचना के अधीन पूर्व में की गई किसी बात की विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा ।

अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति ।

42. (1) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निर्बंधन के अधीन रहते हुए कि ऐसी कोई अधिसूचना इस अधिनियम के मूल रूप से अधिनियमित होने के समय इसमें विनिर्दिष्ट शास्ति के दुगने से अधिक उसमें विनिर्दिष्ट किसी शास्ति के प्रभाव को बढ़ाने वाली नहीं होगी, अनुसूची का संशोधन कर सकेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित किसी संशोधन का यह प्रभाव होगा मानो वह इस अधिनियम में अधिनियमित किया गया हो तथा अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति

43. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(3) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश यथाशक्य इसके बनाए जाने के पश्चात् संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

कतिपय अधिनियमों के संशोधन ।

44. (1) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 14 के खंड (ग) में, उपखंड (i) और उपखंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखे जाएंगे, अर्थात् :— 1997 का 24

"(i) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अधीन अपील अधिकरण ; 2000 का 21

(ii) भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 के अधीन अपील अधिकरण ; और 2008 का 27

(iii) अंकीय वैयक्तिक डाटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के अधीन अपील अधिकरण ।"।

(2) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 का निम्नलिखित रीति में संशोधन किया जाएगा, अर्थात् :— 2000 का 21

(क) धारा 43क का लोप किया जाएगा ;

(ख) धारा 81 के परंतुक में "पेटेंट अधिनियम, 1970" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के पश्चात्, "अंकीय वैयक्तिक डाटा संरक्षण अधिनियम, 2023" शब्द और अंक रखे जाएंगे; 1970 का 39

(ग) धारा 87 की उपधारा (2) में खंड (णख) का लोप किया जाएगा ।

(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 की उपधारा (1) के खंड (ञ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :— 2005 का 22

"(ञ) सूचना, जो वैयक्तिक सूचना से संबंधित है ;"।

अनुसूची

[धारा 3(1) देखिए]

क्र.सं.	इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का भंग	शास्ति
(1)	(2)	(3)
1.	धारा 8 की उपधारा (5) के अधीन वैयक्तिक डाटा भंग को रोकने के लिए युक्तियुक्त बचाव रक्षोपाय करने हेतु डाटा विश्वासी के दायित्व का पालन करने में भंग ।	दो अरब पचास करोड़ रुपए तक हो सकेगी ।
2.	धारा 8 की उपधारा (6) के अधीन वैयक्तिक डाटा भंग के बोर्ड या प्रभावित डाटा प्रधान नोटिस को देने की बाध्यता के पालन करने में भंग ।	दो अरब रुपए तक हो सकेगी ।
3.	धारा 9 के अधीन बालको के संबंध में अतिरिक्त बाध्यताओं के पालन करने में भंग ।	दो अरब रुपए तक हो सकेगी ।
4.	धारा 10 के अधीन महत्वपूर्ण डाटा विश्वासी की अतिरिक्त बाध्यताओं के पालन करने में भंग ।	एक अरब पचास करोड़ रुपए तक हो सकेगी ।
5.	धारा 15 के अधीन कर्तव्यों के पालन करने में भंग ।	दस हजार रुपए तक हो सकेगी ।
6.	धारा 32 के अधीन बोर्ड द्वारा स्वीकृत किसी स्वैच्छिक वचन के किसी निबंधन का भंग ।	भंग के लिए लागू सीमा तक, जिसके संबंध में धारा 28 के अधीन कार्यवाहियां संस्थित की गई थीं ।
7.	इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी अन्य उपबंध का भंग ।	पचास करोड़ रुपए तक हो सकेगी ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

डिजिटल संव्यवहारों ने आर्थिक व्यौहार के साथ सामाजिक व्यौहारों को भी परिवर्तित कर दिया है । वैयक्तिक डाटा का सेवाओं और अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग ऐसे संव्यवहारों का एक सामान्य पहलू बन गया है । इस परिप्रेक्ष्य में, डिजिटल अर्थ व्यवस्था की रीति के लिए वैयक्तिक डाटा का संरक्षण एक पूर्वापेक्षा बन गई है ।

2. इसलिए, ऐसा विधान अधिनियमित करने की आवश्यकता है, जो उपयोगकर्ताओं के वैयक्तिक डाटा का संरक्षण और सुरक्षा का उपबंध करता है और साथ ही विधिपूर्ण प्रयोजनों के लिए ऐसे वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण की आवश्यकता को मान्यता प्रदान करता है ।

3. डिजीटल वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2023, व्यष्टिकों को उनके वैयक्तिक डाटा के संरक्षण के अधिकार प्रदत्त करता है, वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण करने वाले निकायों पर बाध्यता अधिरोपित करता है और अनुपालना तंत्र अधिकथित करता है ।

4. उक्त विधेयक, अन्य बातों के साथ,—

(क) डिजिटल वैयक्तिक डाटा के संरक्षण का उपबंध करने के लिए है ;

(ख) वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण के आधार अधिकथित करने के लिए है ;

(ग) वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण करने वाले निकायों पर साधारण और कतिपय मामलों में विशेष बाध्यता अधिरोपित करने के लिए है ;

(घ) व्यष्टिकों पर उनके वैयक्तिक डाटा के संबंध में कतिपय अधिकार प्रदत्त करने के लिए है ;

(ङ) व्यष्टिकों द्वारा अपने अधिकारों का प्रयोग करते समय और कतिपय प्रयोजनों के लिए अपना वैयक्तिक डाटा उपलब्ध कराते समय निष्पादित किए जाने वाले कर्तव्यों का उपबंध करने के लिए है ;

(च) प्रस्तावित विधान के उपबंधों का सरलता और तेजी से कार्यान्वयन करने के लिए डिजाइन द्वारा अनुपालना ढांचा अधिकथित करने के लिए है ;

(छ) किसी विवाद के पक्षकारों को वैकल्पिक प्रक्रिया और उनकी पसंद के व्यक्ति के माध्यम से समाधान का प्रयास करने में समर्थ बनाने के लिए है ;

(ज) प्रस्तावित विधान के उपबंधों की चूक और अननुपालना के लिए धनीय शास्तियों का उपबंध करने के लिए है ; और

(झ) स्वैच्छिक वचनबंध द्वारा चूक के तीव्र समाधान और सुधार को बढ़ावा देने में समर्थ बनाने के लिए है ।

5. खंडों पर टिप्पण विधेयक में अंतर्विष्ट विभिन्न उपबंधों को विस्तृत रूप से स्पष्ट करता है ।

6. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
19 जुलाई, 2023

अश्विनी वैष्णव

खंडों पर टिप्पण

खंड 1—यह खंड प्रस्तावित विधान के संक्षिप्त नाम और प्रारंभ का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 2—यह खंड प्रस्तावित विधान में आने वाले कतिपय पदों को परिभाषित करने के लिए है ।

खंड 3—यह खंड"अधिनियम का लागू होना"से संबंधित है ।

यह खंड वैयक्तिक डाटा के बारे में प्रस्तावित विधान के लागू होने को स्पष्ट करने के लिए है ।

खंड 4–यह खंड "वैयक्तिक डाटा प्रकमण के लिए आधार" से संबंधित है ।

यह खंड प्रस्तावित विधान के उपबंधों के अनुसार और विधिपूर्ण प्रयोजन के लिए वैयक्तिक डाटा के प्रकमण के आधार अधिकथित करने के लिए है ।

खंड 5–यह खंड "सूचना" से संबंधित है ।

यह खंड वैयक्तिक डाटा के एकत्रण या प्रकमण के लिए सूचना की अपेक्षा और सूचना का वर्णन अधिकथित करनेके लिए है ।

खंड 6–यह खंड "सहमति" से संबंधित है ।

यह खंड सहमति के विभिन्न पहलूओं को स्पष्ट करने के लिए है, जो वैयक्तिक डाटा के प्रकमण के लिए आवश्यक है ।

खंड 7–यह खंड "कतिपय विधिसम्मत उपयोग" से संबंधित है ।

यह खंड विधिसम्मत उपयोग के विभिन्न पहलूओं को स्पष्ट करने के लिए है, जो वैयक्तिक डाटा के प्रकमण के लिए आवश्यक है ।

खंड 8–यह खंड "डाटा विश्वासी की साधारण बाध्यताएं" से संबंधित है ।

यह खंड वैयक्तिक डाटा प्रकमण के लिए डाटा विश्वासी की साधारण बाध्यताएं अधिकथित करने के लिए है ।

खंड 9–यह खंड "बालकों के वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण" से संबंधित है ।

यह खंड बालकों के वैयक्तिक डाटा प्रकमण के लिए आधार अधिकथित करने के लिए है ।

खंड 10–यह खंड "महत्वपूर्ण डाटा विश्वासी की अतिरिक्त बाध्यताएं" से संबंधित है ।

यह खंड वैयक्तिक डाटा प्रकमण के लिए महत्वपूर्ण डाटा विश्वासी की अतिरिक्त बाध्यताएं अधिकथित करने के लिए है ।

खंड 11–यह खंड "वैयक्तिक डाटा के बारे में सूचना अभिगम अधिकार" से संबंधित है ।

यह खंड डाटा स्वामी के वैयक्तिक डाटा के बारे में सूचना अभिगम अधिकारका उपबंध करने के लिए है ।

खंड 12–यह खंड "वैयक्तिक डाटा सुधारने और मिटाने का अधिकार" से संबंधित है ।

यह खंड डाटा स्वामी केवैयक्तिक डाटा को सुधारनेऔर मिटानेके अधिकार का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 13–यह खंड "शिकायत निवारण का अधिकार" से संबंधित है ।

यह खंड डाटा स्वामी के शिकायत निवारण के अधिकार का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 14–यह खंड "नाम निर्देशन का अधिकार" से संबंधित है ।

यह खंड डाटा स्वामी के नाम निर्देशन के अधिकार का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 15–यह खंड "डाटा स्वामी के कर्तव्य" से संबंधित है ।

यह खंड प्रस्तावित विधान के उपबंधों के अधीन अधिकारों का उपयोग करने के लिए डाटा स्वामी के कर्तव्यों को अधिकथित करने के लिए है ।

खंड 16–यह खंड "भारत के बाहर वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण" से संबंधित है ।

यह खंडभारत के बाहर वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण से संबंधित उपबंध अधिकथित करने के लिए है ।

खंड 17–यह खंड "छूट" से संबंधित है ।

यह खंड प्रस्तावित विधान के कतिपय उपबंधों से छूट और वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण के लिए विधिसम्मत प्रयोजन अधिकथित करने के लिए है ।

खंड 18–यह खंड "बोर्ड के स्थापन" से संबंधित है ।

यह खंड भारतीय डाटा संरक्षण बोर्ड नामक बोर्ड के स्थापन के लिए है । बोर्ड, अध्यक्ष और ऐसी संख्या में अन्य सदस्यों, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं, से मिलकर बनेगा ।

खंड 19–यह खंड "अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए संरचना और अर्हताएं" से संबंधित है ।

यह खंड बोर्ड केअध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए संरचना और अर्हताएं सूचीबद्ध करने के लिए है ।

खंड 20–यह खंड "देय वेतन, भत्तों और पदावधि" से संबंधित है ।

यह खंड बोर्ड केअध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन, भत्तों और सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों को सूचीबद्ध करने के लिए है ।

खंड 21–यह खंड "बोर्ड केअध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और बने रहने के लिए निरर्हताएं" से संबंधित है ।

यह खंड बोर्ड केअध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन, भत्तों और सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों को सूचीबद्ध करने के लिए है ।

खंड 22–यह खंड "सदस्योंद्वारा त्यागपत्र और रिक्तियों का भरा जाना" से संबंधित है ।

यह खंड बोर्ड के सदस्योंद्वारा त्यागपत्र और रिक्तियों का भरा जाना अधिकथित करने के लिए है ।

खंड 23–यह खंड "बोर्ड की कार्यवाहियां" से संबंधित है ।

यह खंड बोर्ड की कार्यवाहियां अधिकथित करने के लिए है । बोर्ड से अपनी बैठकें संचालित करने के लिए और अपना कारबार, जिसके अंतर्गत डिजिटल साधनों का प्रयोग भी है, करने के लिए विहित प्रक्रियाओं का अनुसरण करना अपेक्षित है ।

खंड 24–यह खंड "बोर्ड के अधिकारी और कर्मचारी" से संबंधित है ।

यह खंड प्रस्तावित विधान के अधीन कृत्यों के प्रभावी निष्पादन के लिए बोर्ड केअधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए बोर्ड को सशक्त करने के लिए है ।

खंड 25–यह खंड "सदस्यों और अधिकारियों का लोक सेवक होना" से संबंधित है ।

यह खंड बोर्ड केसदस्यों और अधिकारियों को, प्रस्तावित विधान के अनुसार उनकेकर्तव्यों का निर्वहन करते समय, भारतीय दंड संहिता की धारा 21 में यथा परिभाषित लोक सेवक समझे जाने के लिए हैं ।

खंड 26–यह खंड "अध्यक्ष की शक्तियां" से संबंधित है ।

यह खंड बोर्ड के दक्ष प्रशासन के लिए अध्यक्ष द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों का उपबंध करने के लिए है।

खंड 27–यह खंड "बोर्ड की शक्तियां और कृत्य" से संबंधित है ।

यह खंड भारतीय डाटा संरक्षण बोर्ड की शक्तियों और कृत्यों को सूचीबद्ध करने के लिए है। बोर्ड के पास वैयक्तिक डाटा भंग के प्रत्युत्तर में त्वरित कार्रवाई करने, शिकायतों का अनुसंधान करने और शास्तियां अधिरोपित करने की शक्तियां हैं । इसके अतिरिक्त, बोर्ड अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निदेश जारी कर सकता है और उसे अभ्यावेदनों या निर्देशों के आधार पर उसकी निदेशों को उपांतरित या रद्द करने का प्राधिकार है । बोर्ड का उद्देश्य, इन शक्तियों और कृत्यों के माध्यम से डाटा स्वामी के अधिकारों और हितों की सुरक्षा करना और वैयक्तिक डाटा प्रक्रमण क्रियाकलापों की सत्यनिष्ठा बनाए रखना है ।

खंड 28–यह खंड "बोर्ड द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया" से संबंधित है ।

यह खंड किसी जांच के अनुसरण में बोर्ड द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया अधिकथित करने के लिए है।

खंड 29–यह खंड "अपील अधिकरण को अपील" से संबंधित है ।

यह खंड बोर्ड के आदेश के विरुद्ध दूरसंचार विवाद निपटारा और अपील अधिकरण को अपील के लिए उपबंध करने के लिए है।

खंड 30–यह खंड "इन अधिकरण द्वारा पारित आदेशों का डिक्री के रूप में निष्पादनीय होना" से संबंधित है ।

यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि अपील अधीकरण को सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होगी ।

खंड 31–यह खंड "वैकल्पिक विवाद समाधान" से संबंधित है ।

यह खंड मध्यकताके माध्यम से विवाद का वैकल्पिक विवाद समाधान, जो बोर्ड समुचित समझे, अधिकथित करने के लिए है।

खंड 32–यह खंड "स्वैच्छिक वचनबंद्ध" से संबंधित है ।

यह खंड प्रस्तावित विधान के खंड 28 के अधीन कार्यवाही के किसी भी स्तर पर किसी व्यक्ति से प्रस्तावित विधान के उपबंधों के पालन से संबंधित किसी मामले की बाबत स्वैच्छिक वचनबंद्ध अधिकथित करने के लिए है।

खंड 33–यह खंड "शक्तियां" से संबंधित है ।

यह खंड डाटा संरक्षण बोर्ड द्वारा धनीय शास्तियों का उपबंध करने के लिए है।

खंड 34–यह खंड "शास्तियों के माध्यम से प्राप्त राशियों को भारत की संचित निधि में जमा किया जाना" से संबंधित है ।

यह खंड शास्तियों के माध्यम से प्राप्त राशियों को भारत की संचित निधि में जमा किया जाना अधिकथित करने के लिए है।

खंड 35–यह खंड "सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण" से संबंधित है ।

यह खंड केंद्रीय सरकार, बोर्ड, उसके अध्यक्ष और किसी सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी को प्रस्तावित विधान के अधीन सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई की दशा में संरक्षण के लिए है ।

खंड 36–यह खंड "सूचना मांगने की शक्ति" से संबंधित है ।

यह खंड बोर्ड को किसी डाटा विश्वासी से सूचनार्थ मांगने के लिए सशक्त करने के लिए है ।

खंड 37–यह खंड "केंद्रीय सरकार की निदेश जारी करने की शक्ति" से संबंधित है ।

यह खंड केंदीय सरकार को बोर्ड को निदेश जारी करने के लिए सशक्त करने के लिए है ।

खंड 38–यह खंड "अधिकारिता का वर्जन" से संबंधित है ।

यह खंड यह अधिकथित करने के लिए है कि किसी सिविल न्यायालय को बोर्ड के क्षेत्र के भीतर आने वाले किसी मामले पर कोई वाद ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी ।

खंड 40–यह खंड "नियम बनाने की शक्तियां" से संबंधित है ।

यह खंड प्रस्तावित विधान के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए केंद्रीय सरकार को सशक्त करने के लिए है।

खंड 41–यह खंड "नियमों और कतिपय अधिसूचनाओं का रखा जाना" से संबंधित है ।

यह खंड अपेक्षा करने के लिए है कि इस विधान के अधीन बनाए गए नियम और विनियम संसद् के समक्ष रखे जाएंगे।

खंड 42–यह खंड "अनुसूची के संसोधन की शक्ति" से संबंधित है ।

यह खंड केंद्रीय सरकार को प्रस्तावित विधान के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए अनुसूची का संशोधन करने के लिए सशक्त करने के लिए है।

खंड 43–यह खंड "कठिनाइयों को दूर करना" से संबंधित है ।

यह खंड केंद्रीय सरकार को प्रस्तावित विधान के कार्यान्वयन के दौरान उद्भूत किन्हीं कठिनाइयों को दूर करने के लिए आदेश जारी करने के लिए सशक्त करने के लिए है ।

खंड 44–यह खंड "कतिपय अधिनियमों को संसोधन" से संबंधित है ।

यह खंड सूचना प्रौद्योगिकी के अधिनियम, 2000, भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण, 1997 और सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के संशोधनों संबंधी उपबंध करने के लिए है।

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक, भारतीय डाटा संरक्षण बोर्ड के सृजन को परिकल्पित करता है । चूंकि विधेयक के अधिनियमिती के पश्चात् बोर्ड की संरचना अधिसूचित की जानी है, इस स्तर पर बोर्ड की स्थापना और कृत्यकारी के लिए वित्तीय विवक्षा आरंभिक पूंजी व्यय के लिए लगभग 25 करोड़ रुपए और आवर्ती व्यय के लिए वार्षिक रूप से 10 करोड़ रूपए प्राक्कलित है । उक्त व्यय भारत की संचित निधि से उपगत किया जाना है ।

प्रत्योजित विधान के बारे में ज्ञापन

डिजिटल वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक20 ,23 का खंड 40निम्नलिखित के लिए अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन की शर्तों के अधीन रहते हुए अधिनियम के उपबंधों से अनसंगत नियम बनाने हेतु केन्द्रीय सरकार को सशक्त करता है(क) धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन वह रीति, जिसमें डाटा विश्वासी द्वारा डाटा प्रधान को दी गई सूचना उसे सूचित करेगी ; (ख) धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन वह रीति, जिसमें डाटा विश्वासी द्वारा डाटा प्रधान को दी गई सूचना उसे सूचित करेगी ; (ग) धारा 6 की उपधारा (8) के अधीन सहमति प्रबंधक की जवाबदेही की रीति तथा उसके दायित्व ; (घ) धारा 6 की उपधारा (9) के अधीन सहमति प्रबंधक के रजिस्ट्रीकरण की रीति तथा उससे संबंधित शर्तें ; (ङ) धारा 7 की खंड (ख) के अधीन परिदान, फायदा, सेवा, प्रमाणपत्र, अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा या जिसके उपबंध या जारी किए जाने के लिए व्यक्तिगत डाटा प्रक्रियागत किया जा सकेगा ; (च) धारा 8 की उपधारा (6) के अधीन बोर्ड को व्यक्तिगत डाटा भंग की सूचना देने का प्ररूप और रीति ; (छ) धारा 8 की उपधारा (8) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रयोजन हल किया गया न समझा जाने के लिए समयावधि ; (ज) धारा 8 की उपधारा (9) के अधीन डाटा सुरक्षा अधिकारी की कारबार संपर्क सूचना प्रकाशित करने की रीति ; (झ) धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन सत्यापित सहमति प्राप्त करने की रीति ; (ञ) धारा 9 की उपधारा (4) के अधीन डाटा विश्वासियों के वर्ग, बालक के व्यक्तिगत डाटा को प्रक्रियागत करने के प्रयोजन तथा उससे संबंधित शर्तें ; (ट) धारा 10 की उपधारा (2) के खंड (ग) के उपखंड (i)के अधीन डाटा सुरक्षा समाघात निर्धारण की प्रक्रिया से मिलकर बने अन्य विषय ; (ठ) धारा 10 की उपधारा (2) के खंड (ग) के उपखंड (iii)के अधीन वे अन्य कदम, जो महत्वपूर्ण डाटा विश्वासी उठाएगा ; (ड) धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन वह रीति, जिसमें कोई डाटा प्रधान डाटा विश्वासी को सूचना प्राप्त करने के लिए निवेदन करेगा तथा ऐसे डाटा प्रधान के व्यक्तिगत डाटा से संबंधित कोई अन्य सूचना और इसे प्रक्रियागत करना ; (ढ) धारा 12 की उपधारा (3) के अधीन वह रीति, जिसमें कोई डाटा प्रधान डाटा विश्वासी को उसका व्यक्तिगत डाटा हटाने के लिए निवेदन करेगी ; (ण) धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन वह अवधि, जिसके भीतर डाटा विश्वासी किन्हीं शिकायतों का उत्तर देगा ; (त) धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन डाटा प्रधान द्वारा किसी अन्य व्यष्टिक को नामनिर्दिष्ट करने की रीति ; (थ) धारा 17 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन छूट के लिए व्यक्तिगत डाटा प्रक्रियागत करने के मानक ; (द) धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति की रीति ; (ध) धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ; (न) धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन आदेशों, निदेशों और लिखतों के अधिप्रमाणन की रीति ; (प) धारा 24 के अधीन बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति और सेवा के निबंधन और शर्तें ; (फ) धारा 28 की उपधारा (1) के अधीन बोर्ड द्वारा अंगीकृत किए जाने वाले प्रौद्योगिकी - विधिक उपाय ; (ब) धारा 28 की उपधारा (7) के खंड (घ) के अधीन अन्य विषय ; (भ) धारा 29 की उपधारा (2) के अधीन अपील फाइल करने के लिए प्ररूप, रीति और फीस ; (म) धारा 29 की उपधारा (8) के अधीन अपील व्यौहार करने के लिए प्रक्रिया ; (य) कोई अन्य विषय, जो विहित किया

जाना है या विहित किया जाए या जिसके संबंध में उपबंध नियमों द्वारा किए जाने हैं या किए जाएं ।

2. वे विषय ,जिनके संबंध में पूर्वोक्त नियम और विनियम बनाए जा सकेंगे ,प्रक्रिया और प्रशासनिक ब्यौरे के विषय और उनके लिए प्रस्तावित विधेयक में ही उपबंध करना व्यवहार्य नही हैं । अतः ,विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।

उपाबंध

भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का अधिनियम संख्यांक 24) से उद्धरण

*   *   *   *   *   *

अध्याय 4

अपील अधिकरण

अपील अधिकरण की स्थापना।

14. केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा,—

*   *   *   *   *   *

(ग) निम्नलिखित को प्रदत्त अधिकारिता, शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग करेगा—

2000 का 21

(i) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की अधीन अपील अधिकरण ; और

2008 का 27

(ii) भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 के अधीन अधिकरण ।

*   *   *   *   *   *

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का अधिनियम संख्यांक 21) से उद्धरण

*   *   *   *   *   *

डाटा को संरक्षित रखने में असफलता के लिए प्रतिकर ।

43क. जहां कोई निगमित निकाय ऐसे किसी कंप्यूटर संसाधन में किसी संवेदनशील व्यक्तिगत डाटा या सूचना को रखता है, उसका संव्यवहार करता है या उसको संभालता है जो उसके स्वामित्व में, नियंत्रण में है या जिसका वह प्रचालन करता है, युक्तियुक्त सुरक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन और अनुरक्षण में उपेक्षा करता है और उसके द्वारा किसी व्यक्ति को सदोष हानि या सदोष लाभ पहुंचाता है, वहां ऐसा निगमित निकाय, इस प्रकार प्रभावित व्यक्ति को प्रतिकर के रूप में नुकसानी का संदाय करने के लिए दायी होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(i) "निगमित निकाय" से कोई कंपनी अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत वाणिज्यिक या वृतिक क्रियाकलापों में लगी हुई फर्म, एकल स्वामित्व या व्यष्टियों का कोई अन्य संगम भी है;

(ii) "युक्तियुक्त सुरक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं" से ऐसी अप्राधिकृत पहुंच, नुकसानी, उपयोग, उपांतरण, प्रकटन या ह्रास, जो, यथास्थिति, पक्षकारों के बीच किसी करार में विनिर्दिष्ट किया जाए या जो तत्समय प्रवृत किसी विधि में विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसी सूचना को संरक्षित करने के लिए अभिकल्पित सुरक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाएं और ऐसे करार या किसी विधि के अभाव में, ऐसी युक्तियुक्त सुरक्षा पद्धतियां और प्रक्रियाएं, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे वृतिक निकायों या संगमों के परामर्श से, जिन्हें वह

उपयुक्त समझे, विहित की जाएं, अभिप्रेत हैं;

(iii) "संवेदनशील व्यक्तिगत डाटा या सूचना" से ऐसी व्यक्तिगत सूचना अभिप्रेत है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे वृत्तिक निकायों या संगमों के परामर्श से, जिन्हें वह उचित समझे, विहित की जाए ।

* * * * * *

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना ।

81. इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में इससे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे :

परंतु इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई बात किसी व्यक्ति को, प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 या पेटेंट अधिनियम, 1970 के अधीन प्रदत्त किसी अधिकार का प्रयोग करने से निर्बन्धित नहीं करेगी । 1957 का 14 1970 का 39

* * * * * *

केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

87. (1) * * * * *

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:—

* * * * * *

(णख) धारा 43क के अधीन युक्तियुक्त सुरक्षा पद्धति और प्रक्रियाएं तथा संवेदनशील वैयक्तिक डाटा या सूचना ;

* * * * * *

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 22) से उद्धरण

* * * * * *

सूचना के प्रकट किए जाने से छूट ।

8. (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, व्यक्ति को निम्नलिखित सूचना देने की बाध्यता नहीं होगी—

* * * * * *

(ञ) सूचना, जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है, जिसका प्रकटन किसी लोक क्रियाकलाप या हित से संबंध नहीं रखता है या जिससे व्यष्टि की एकांतता पर अनावश्यक अतिक्रमण होगा, जब तक कि, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपील प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना का प्रकटन विस्तृत लोक हित में न्यायोचित है :

परन्तु ऐसी सूचना के लिए, जिसको, यथास्थिति, संसद् या किसी राज्य विधान-मंडल को देने से इंकार नहीं किया जा सकता है, किसी व्यक्ति को इंकार नहीं किया जा सकेगा ।

* * * * * *